(È. 1 No : 07749 – 265461

कार्यालय प्राचार्य स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरूर जिला — बालोद, छ.ग, भारत इंट गाटन विश्वविद्यालय दर्ग फल्तीसगढ भारत से र

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ, भारत से संबद्ध)
61 Email: gururgovernmentcollege@gmail.com

gcgurur.org.in



6.3.1:- The institution has effective welfare measures for teaching and non-teaching staff

Response- The Government institute provides all the facilities approved by the state government. There are various types of welfare schemes for the employees of the Chhattisgarh government, the benefits of which are available to every teaching and non-teaching staff.

Various welfare schemes are as follows-

Career Advancement Schemes:- for faculties members to gain higher education qualifications such as M.Phil and Ph.D.

DA:- Daily Allowance provided to regular teaching and non-teaching staff.

LTC for hometown: for teaching and non-teaching staff.

HRA:- House Rent allowance provided to regular teaching and non-teaching staff.

TA:- Traveling allowance is provided to staff according to state government rules.

Loan: provided by the state government to buy house/ construction and festival advance salary and bonus.

Double work allowance: to provide state government extra work on an additional amount other than salary

Computer Allowance:- A computer allowance is provided to clerical staff who get a minimum one-year computer certificate.

Uniform allowance:- Uniform allowances are provided to class IV employees as per the government rule.

Honoraria: According to the parent University rule Honoria is Provided to staff who work in the annual examination at the examination center.

Medical leave:- Facility.

Medical bill reimbursement:- provided to staff as per state government rules.

Leave:- There are provisions for, study leave, maternity leave/ paternity leave, and Duty leave as applicable.

Casual leave:- 13 Days for Faculty Staff and non-teaching staff who get every Saturday leave.

Other leave:- Earned leave, Half-pay leave, commuted leave not due, extraordinary leave, special **Disability leave** provided to staff according to state government rules.

Every Saturday leave:- for non-teaching staff leave.

Pension/Family Pension Scheme:- For teaching and non-teaching Staff available options are NPS and OPS.

GPF/CPF/DPF:- for teaching and non-teaching staff.

Leave encashment:- for Teaching and non-teaching staff.

GIS and Gratuity: Regular teaching and non-teaching staff are Covered under the Group Insurance Scheme and they are entitled to gratuity at the time of retirement.

Compassionate appointment:- Appointment offered to one of the family members after the sudden death of the staff in service as per government rules.

Advance:- The college gives advances to staff under inevitable circumstances as per government rules.

Transfer Policy:- Regular Staff can transfer to other Government colleges in Chhattisgarh according to the State government transfer policy.

TA:- Traveling allowances to the family for going to the home town on the death of the employee.

In case of the death of a government servant on duty, immediate assistance to the family.

Waiver of an outstanding amount of house construction advance and interest payable thereon in case of death during service.

HA:- For teaching and non-teaching staff.

Facilities and amenities

Wi-Fi facility

Well- Furnished staff rooms

Separate department

Book bank Facility by library

CC TV cameras to ensure safety and security

Fire safety equipment.

First Aid Facility

Parking Facility

Yearly increment and financial support for academic activities

Canteen Facilities

tier promotion policy

R.O. drinking water

Festival advance for class III & IV employees.

Washrooms for male and female staff

Parking for staff and students

tier time scale salary benefit

Link:- 538 698 Ordinance 5 Durg.pdf (gcgurur.org.in)



हैमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) (पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग) रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001 guniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरमाष : 0

ई मेल: exam@durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359300

क्र. 1404 / परीक्षा / 2019

दुर्ग, दिनांक .. १९/०३/२०19

!! अधिसूचना !!

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक दिनांक 13.09.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 04 में Ordinance No. 5 Conduct of Examinations (APPENDIX: Remuneration for Examination Work) का अनुमोदन किया गया है जो निम्नानुसार है:--

APPENDIX REMUNERATION FOR EXAMINATION WORK

						Approved Rate in Rs.
The	e Scale of	Remu	uneration of paper setter /	examiners as follo	ws viz:-	
(i)	For 1	Ph.D.,	D.Sc. & D.Lit. examinaton	s:		
	(a)	Rea	ading a Thesis for Ph.D.			2500
	(b)	Pra	ctical and Viva-Voce examin	nation for Ph.D.		1500
	(c)	Rea	ading a Thesis for D.Sc. or D	. Litt.		3500
	(d)	Pra	ctical and Viva-Voce examin	nation for D.Sc. or 1	D.Litt	1500
(ii)	For	M.Phi	l, PG and PG Diploma Exa	minations:		
	(a)	Sett	ting a Question Paper	New pattern	With answer key	2000
					Without answer key	1800
				Old Pattern		1000
	(b)	Val	uation of answer book	New pattern		25
						(Min. 200)
				Old Pattern		15
						(Min. 100)
	(c)	(1)	Reading the Thesis/Dissert PG & PG Diploma Examin		ee of a candidate for	120
		(2)	Reading a project report/fice & PG Diploma Examination		t of a candidate for PG	120
		(3)	M. Phil Dissertation/Project	ct Report Valuation	and Viva-Voce.	100+50
	(d)	Viv	a-Voce/Practical Examination	on of each candidate		15
						(Min.500)
(iii)	For I	JG Exa	aminations:			
	(a)	Sett	ing a Question Paper			900
	(b)	Valu	uation of answer book			15
						(Min. 100)
	(c)		ducting Practical Examinati	ion per Candidate to	each Internal and	12
		Exte	ernal Examiners per Centre.			(Min. 500)

(iv)	All Di	ploma/Certificate Courses:	
	(a)	Setting a Question Paper	600
	(b)	Valuation of each answer book	15 (Min. Rs.100)
	(c)	Conducting Practical Examination of each candidate	12
(v)	Miscel	laneous:	(Min. Rs. 400)
	(a)	Remuneration to Head examiners per valuation day. This fee includes remuneration for drafting of instructions, issue of models etc. No. separate fee to be paid for drafting of instructions.	400
	(b)	Drafting detailed memorandum of instructions for Co-examiners (Where no model answer are sent by head examiner and the answer books examined by Co-examiners are not re-examined by head examiner)	600
	(c)	For supplying more than two but not exceeding six copies of question papers in addition to the required number of two.	100
	(d)	For translation of paper from English to Hindi medium or other Indian Language and Vice-Versa.	200
	Note :-		
	(a)	If a paper is set by two examiners the remuneration shll be divided equally between them excepting in B.Ed.	· ·
	(b)	If a paper for an examination consists of two sections, both of which are compulsory, the remuneration payable for examine each answer book in a section shall be half the remuneration prescribed for examining each answer book in the full paper.	
	(c)	(1) The answer books weighing two or more than two kilograms will be sent by the examiners to the university by railway and the railway freight charged thus incurred by the examiner in sending the packets will be paid by the university.	
		(2) The actual postal expenses incurred by the examiners in sending the packets of answer book less than two kilogram and also the award list to the university shall be paid by the university.	
		(3) Amount payable to the local examiners for bringing or sending the answer-books and award lists to the university shall be	Rs. 100
	(d)	Remuneration for re-examination of answer book (for revaluation) to each examiner	40 Rs. (Min.Rs.
			100.00)

2. THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATIONS FOR THE WORK RELATING TO DECLARATION OF RESULTS AND ISSUE OF STATEMENT OF MARKS OBTAINED EXAMINEES VIZ:-

	(i)	(a)	Tabulation of result per hundred candidates	100 (Min. 100.)
		(b)	Collation of results per hundred candidates	80 (Min. 80)
		(c)	Checking /Scrutinizing per hundred candidates	40
				(Min. 40)
	(ii)	For	writing of statement of marks-each marks sheet.	1 .
	(iii)	For	Checking / Scrutinizing of statement of marks- each mark sheet	1
	(iv)	For	writing of each Degree /Diploma / Certificate	5
	(v)	For	Checking / Scrutinizing of Degree/Diploma/Certificate - each Checker/ tiner.	2
3.	above	e shall b		50000
	- Pro	Chance	mount over and above the said limit shall lapse to the university.*) at where sufficient numbers of examiners are not available in any subject, the llor may relax the maximum limit by Rs. 10000/- for reasons to be recorded in	
4.	Unles	s specia	lly permitted, deduction shall be made from the remuneration bills on e following:-	
	(i)	ucia		15
	(ii)	Dela	y in return of answer books for each day of delay Rs.	15
	(iii)	Dela	y in the dispatch of the report on the examination for each day of delay Rs.	15
	(iv)	Entry	of marks against wrong Roll Number- per mistake Rs.	15
	(v)	Wron	ng entry of marks (e.g. 35 instead of 25)- per mistake Rs.	15
	(vi)	If ma	rks in award list differ from those shown on the answer books- per mistake Rs.	20
	(vii)	Omis	sion to enter marks in award list although answer books sent- per mistake Rs.	15
	(viii)	Omis	sion to mark a question or part of question - per mistake Rs.	15
	(ix)		ke in totaling of marks- per mistake Rs.	15
	Note:			
		(a)	If any examiner commits more than three mistakes under any of the categories mentioned in the foregoing paragraph or if any examiner commits mistake or mistakes by which the result of a candidate is affected, his work shall be deemed as unsatisfactory and the matter may be placed before the Executive Council for any action deemed proper.	
		(b)	Deductions from the bill of tabulators for each mistake made by the tabulator shall be	15

5. THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATION PAYABLE TO PERSONS ENGAGED IN WORK RELATING TO UNIVERSITY EXAMINATION A CENTRE VIZ:-

-07 6.7		TION A CENTRE VIZ:-		
(A)	TH	EORY		
	(a)	Senior Superintendent (Principle): Per Shift		300
		(presence of the principal during the entire period of exam	ination)	(Max. 500 per day)
	(b)	Superintendent: Per Shift		200
				(Max. 400 per day)
	(c)	Assistant Superintendent: Per Shift		150 (Max. 300 per day)
	(d)	Invigilator: Per Shift		120
	(e)	Class III and Class IV staff of the college./Deptt. enagaged examination work at a centre (per candidate for the total number of the candidate actually examination at the centre to be distributed by the Centre Sup	admitted to the	6 and 4 respectively
	(f)	Lumsum grant payable (per candidate registered) to the exact to cover expencess on all contingent items. (The Principal/Head of the concerned, institution shall send certificate in this respect to the university.)		6 (Min. Rs. 1500 per centre.)
(B)	PRA	CTICAL:		
	(per	oratory staff engaed in connection with practical examinations- candidate for the total number of the candidate actually admitted ination at the centre.)	ed to the	6
(C)	Other			
(0)	(a)	Forwarding of examination form (Officer and his staff per form Forwarded.)	application	30
	(b)	For supplying all necessary materials for practical examination (in subjects where needed) Science and Home	UG Exam.	2
		Science Namely vegetables, chemical, dissection, animals, plant, raw material etc., the principal of the college concerned will be paid contingent charges for per candidate actually appeared in the examination.	PG Exam.	4
		For which Principal will have to issue an official receipt.		

In case of a work for which no remuneration has been prescribed in The foregoing paragraphs, the rate therefore shall be determined by the Kulpati.

S.No.	Nature of Confidential Work	Item ordinance 5-17 to which this work is considered EQUIVALENT	Revised rates of Remuneration
To prepare the list of carry forward marks of candidates appearing for various examinations.		rry forward marks of Writing of statement marks.	
2.	Corrections in chart (including corrections for declaration of withheld results)	Writing of statement marks.	Per candidate
3.	To put the correct Roll Nos. on award for practical's	Collection of Results	Per candidate
4.	To write the foils and counter foils for marks awarded in Central Valuation.	Collation of Result	Per candidate
5.	Posting of UFM and Revaluation cases & declaration of their results.	Tabulation	Per candidate
6.	Scrutiny of Answer Books.	-	Per candidate

Note :- The Above rates shall apply from the semester examination December 2018

आदेशानुसार,

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : <u>२९/०३</u>/2019

पृ.क्र. **/**५०५७ परीक्षा / 2019 प्रतिलिपि:—

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।

माननाय राज्यपाल एव कुलाहिपात महादय क प्रमुख साचव, छत्तासगढ़, राजमवन, रायपुर।
 सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
 प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
 समस्त विभागीय अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।

उपकुलसचिव हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



0

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1–2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की घारा 14 के साथ पठित घारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (इ.) और (छ) के तहत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010" (विनियम सं. एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय— समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः —

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:

- इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।
- 1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।
- उस्ति कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।



0

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1–2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की घारा 14 के साथ पठित घारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (इ.) और (छ) के तहत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010" (विनियम सं. एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय— समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः —

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:

- इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।
- 1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।
- उस्ति कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।

क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्टियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को प्राप्त कर्त है आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

19.0 अन्य निबंधन और शर्ते

19.1 पीएचडी / एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

- जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स- वर्क और बाह्रय मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली तैवन तरि में मूर्त के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली तैवन तरि में मूर्त के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- ii. सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- iii. जिन शिक्षकों के पास एलएलएम/ एम.टेक/ एम.आर्क/ एम.ई/ एम.वी.एससी/ एम.डी., आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपाधि है जिन्हें संबन्धित सांविधिक निकाय / परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है वे भी प्रवेश स्तर पर दो गैर- मिश्रित अग्निम वेतन वृद्धि के

iv.

- (क) जो शिक्षक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर -मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स- वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।
- (ख) तथापि, उन सेवारत शिक्षकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स- वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो, और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।
- v. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे शिक्षक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर-मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स- वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।
- vi. ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि का लाम तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।
- vii. ऐसे शिक्षक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या रनातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- viii. ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विद्या में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स- वर्क, और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर- मिश्रित अग्निम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- ix. (क) सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जो सेवाकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स- वर्क, और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- (ख) तथापि, ऐसे शिक्षक, जो सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लाग होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हों तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- ix. सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स-वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसुचित किया गया हो।

क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्टियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को प्राप्त कर्त है आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

19.0 अन्य निबंधन और शर्ते

19.1 पीएचडी / एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

- जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स- वर्क और बाह्रय मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली तैवन तरि में मूर्त के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली तैवन तरि में मूर्त के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- ii. सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- iii. जिन शिक्षकों के पास एलएलएम/ एम.टेक/ एम.आर्क/ एम.ई/ एम.वी.एससी/ एम.डी., आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपाधि है जिन्हें संबन्धित सांविधिक निकाय / परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है वे भी प्रवेश स्तर पर दो गैर- मिश्रित अग्निम वेतन वृद्धि के

iv.

- (क) जो शिक्षक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर -मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स- वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।
- (ख) तथापि, उन सेवारत शिक्षकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स- वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो, और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।
- v. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे शिक्षक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर-मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स- वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।
- vi. ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि का लाम तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।
- vii. ऐसे शिक्षक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या रनातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- viii. ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विद्या में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स- वर्क, और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर- मिश्रित अग्निम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- ix. (क) सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जो सेवाकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स- वर्क, और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- (ख) तथापि, ऐसे शिक्षक, जो सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लाग होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हों तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- ix. सहायक पुस्तकाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स-वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसुचित किया गया हो।

(C) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

18.0 Maintenance of Standards in Higher-Education Institutions:

In order to maintain the academic standards in higher education, the following recommendations shall be adopted by the respective Universities/Colleges/Institutions:

- i. The process of evaluation for Ph.D shall be uniform in all the universities in accordance with the respective UGC Regulations and their amendments from time to time, in this regard. The Universities shall adopt these Regulations within six months of their notification.
- ii. There shall be special provision of supernumerary Ph.D seats not exceeding 10% of the total seats available in the department, if there is no vacant seat available with the eligible Supervisors in that department, to the in-service teachers for encouraging the faculty members of colleges and universities for getting a Ph.D. degree.
- iii. In order to encourage research and increase country's research output, Universities shall accord permission and provide need-based facility for college teachers to supervise Ph.D./M.Phil. scholars. Universities shall amend their Statutes and Ordinances accordingly.
- iv. All newly-recruited faculty members shall be provided one-time seed money/start up grant/research grant for establishing a basic research/computational facility as per the provisions laid down in these regulations.
- v. The Ph.D. degree shall be made a mandatory requirement for recruitment and promotions in accordance with the provisions laid down in these Regulations.
- vi. Research clusters shall be created amongst the universities/colleges/research institutions within the state for sharing research facilities, human resources, skills and infrastructure to ensure optimal utilisation of resources and to create synergies among higher education institutions.
- vii. An induction programme of one month shall be introduced for all newly-recruited Assistant Professors in the universities/colleges/institutions ideally before the starting of their teaching work, but definitely within one year of the recruitment of the new faculty member. In addition to the Human Resource Development Centres of the UGC, Universities/Institutions with the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching(PMMMNMTT) scheme shall also organize such induction programmes as per their mandate.
- viii. These induction programmes shall be treated at par with the Orientation Programmes already being run by the Human Resource Development Centres of the UGC for the purpose of the CAS requirements. Universities/Colleges/Institutions shall send the faculty members to such programmes in a phased manner so that the teaching work does not suffer.
- ix. All short-term and long-duration capacity-building programmes for teachers/faculty ranging from one week to one month as well as seminars, workshops in different pedagogic and discipline-specific areas being conducted by centres such as Schools of Education (SoEs), Teaching Learning Centres (TLCs), Faculty Development Centres (FDCs), Centres for Excellence in Science and Mathematics (CESMEs), Centres for Academic Leadership and Education Management (CALEMs) under the PMMNMTT scheme shall be taken into consideration for fulfilment of the requirements as laid down in Career Advancement Scheme of these Regulations.

19.0 Other Terms and Conditions

19.1 Incentives for Ph.D./M.Phil. and other Higher Qualification

- i. Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of recruitment as Assistant Professor to persons possessing the degrees of Ph.D. awarded in a relevant discipline by the University following the process of admission, registration, course work and external evaluation as prescribed by the UGC.
- ii. M.Phil degree holders at the time of recruitment to the post of Assistant Professor shall be entitled to two non-compounded advance increments.
- iii. Those possessing Post-graduate degree in the professional course such as LL.M./M.Tech/M.Arch./M.E./M.V.Sc./M.D., etc. recognized by the relevant statutory body/ council, shall also be entitled to two non-compunded advance increments at the entry level.

iv.

a) Teachers who complete their Ph.D. degree while in service shall be entitled to three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if such Ph.D. is in a relevant discipline of the

(C) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

18.0 Maintenance of Standards in Higher-Education Institutions:

In order to maintain the academic standards in higher education, the following recommendations shall be adopted by the respective Universities/Colleges/Institutions:

- i. The process of evaluation for Ph.D shall be uniform in all the universities in accordance with the respective UGC Regulations and their amendments from time to time, in this regard. The Universities shall adopt these Regulations within six months of their notification.
- ii. There shall be special provision of supernumerary Ph.D seats not exceeding 10% of the total seats available in the department, if there is no vacant seat available with the eligible Supervisors in that department, to the in-service teachers for encouraging the faculty members of colleges and universities for getting a Ph.D. degree.
- iii. In order to encourage research and increase country's research output, Universities shall accord permission and provide need-based facility for college teachers to supervise Ph.D./M.Phil. scholars. Universities shall amend their Statutes and Ordinances accordingly.
- iv. All newly-recruited faculty members shall be provided one-time seed money/start up grant/research grant for establishing a basic research/computational facility as per the provisions laid down in these regulations.
- v. The Ph.D. degree shall be made a mandatory requirement for recruitment and promotions in accordance with the provisions laid down in these Regulations.
- vi. Research clusters shall be created amongst the universities/colleges/research institutions within the state for sharing research facilities, human resources, skills and infrastructure to ensure optimal utilisation of resources and to create synergies among higher education institutions.
- vii. An induction programme of one month shall be introduced for all newly-recruited Assistant Professors in the universities/colleges/institutions ideally before the starting of their teaching work, but definitely within one year of the recruitment of the new faculty member. In addition to the Human Resource Development Centres of the UGC, Universities/Institutions with the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching(PMMMNMTT) scheme shall also organize such induction programmes as per their mandate.
- viii. These induction programmes shall be treated at par with the Orientation Programmes already being run by the Human Resource Development Centres of the UGC for the purpose of the CAS requirements. Universities/Colleges/Institutions shall send the faculty members to such programmes in a phased manner so that the teaching work does not suffer.
- ix. All short-term and long-duration capacity-building programmes for teachers/faculty ranging from one week to one month as well as seminars, workshops in different pedagogic and discipline-specific areas being conducted by centres such as Schools of Education (SoEs), Teaching Learning Centres (TLCs), Faculty Development Centres (FDCs), Centres for Excellence in Science and Mathematics (CESMEs), Centres for Academic Leadership and Education Management (CALEMs) under the PMMNMTT scheme shall be taken into consideration for fulfilment of the requirements as laid down in Career Advancement Scheme of these Regulations.

19.0 Other Terms and Conditions

19.1 Incentives for Ph.D./M.Phil. and other Higher Qualification

- i. Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of recruitment as Assistant Professor to persons possessing the degrees of Ph.D. awarded in a relevant discipline by the University following the process of admission, registration, course work and external evaluation as prescribed by the UGC.
- ii. M.Phil degree holders at the time of recruitment to the post of Assistant Professor shall be entitled to two non-compounded advance increments.
- iii. Those possessing Post-graduate degree in the professional course such as LL.M./M.Tech/M.Arch./M.E./M.V.Sc./M.D., etc. recognized by the relevant statutory body/ council, shall also be entitled to two non-compunded advance increments at the entry level.

iv.

a) Teachers who complete their Ph.D. degree while in service shall be entitled to three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if such Ph.D. is in a relevant discipline of the

discipline of employment and has been awarded by a University complying with the process prescribed by the UGC for enrolment, course work, evaluation, etc.

- b) However, teachers in service who have already been awarded Ph.D. by the time of coming into force of these Regulations or having been enrolled for Ph.D. have already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awarded, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only, even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission
- v. In respect of every other case, a teacher who is already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both, as the case may be.
- vi. Teachers in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D., while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- vii. Teachers who acquire M.Phil. Degree or a post-graduate degree in a professional course recognised by the relevant Statutory Body / Council, while in service, shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.
- viii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Librarian / College Librarian who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Library Science.
- ix. (a) Assistant Librarian/College Librarian acquiring the degree of Ph.D. at any time while in service, in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation shall be entitled to three non-compounded advance increments fixed at increment applicable at entry level only.
 - (b) However, persons in posts of Assistant Librarian/College Librarian on higher positions who have already been awarded Ph.D. in library science at the time of coming into force of these Regulations or having already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only.
- x. In respect of every other case of persons in the post of Assistant Librarian / College Librarian or higher positions who are already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D.in respect of either course-work or evaluation or both as the case may be.
- xi. Assistant Librarian/College librarian and others in higher library positions in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- xii. Two non-compounded advance increments shall be admissible for Assistant Librarian/College Librarian with M.Phil. degree in Library Science at the entry level. Assistant Librarian/College Librarian and those in higher positions acquiring M.Phil degree in library science at any time during the course of their service shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.
- xiii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Director of Physical Education and Sports / College Director of Physical Education and Sports who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science.

discipline of employment and has been awarded by a University complying with the process prescribed by the UGC for enrolment, course work, evaluation, etc.

- b) However, teachers in service who have already been awarded Ph.D. by the time of coming into force of these Regulations or having been enrolled for Ph.D. have already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awarded, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only, even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission
- v. In respect of every other case, a teacher who is already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both, as the case may be.
- vi. Teachers in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D., while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- vii. Teachers who acquire M.Phil. Degree or a post-graduate degree in a professional course recognised by the relevant Statutory Body / Council, while in service, shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.
- viii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Librarian / College Librarian who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Library Science.
- ix. (a) Assistant Librarian/College Librarian acquiring the degree of Ph.D. at any time while in service, in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation shall be entitled to three non-compounded advance increments fixed at increment applicable at entry level only.
 - (b) However, persons in posts of Assistant Librarian/College Librarian on higher positions who have already been awarded Ph.D. in library science at the time of coming into force of these Regulations or having already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only.
- x. In respect of every other case of persons in the post of Assistant Librarian / College Librarian or higher positions who are already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D.in respect of either course-work or evaluation or both as the case may be.
- xi. Assistant Librarian/College librarian and others in higher library positions in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- xii. Two non-compounded advance increments shall be admissible for Assistant Librarian/College Librarian with M.Phil. degree in Library Science at the entry level. Assistant Librarian/College Librarian and those in higher positions acquiring M.Phil degree in library science at any time during the course of their service shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.
- xiii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Director of Physical Education and Sports / College Director of Physical Education and Sports who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science.

ब्लॉक-3, ब्रितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) (फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

कृतांक २१ १५ / ३३६ / आउशि / राज स्था / २०२०

-wow.highereduceilon.cg.gov.in) गवा रायपुर, अटल नगर दिनांक. २. ते. ०८८ ४ \

महालेखाकार, छत्तीरागढ, जीरो पाइंट, विधानरामा मार्ग, सयपुर (छ.ग.)

पीएच ही /एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण। 1. कामीलयीन पत्र कमांक-507/1092/आउशि/राज.स्था/2017 दिनांक 26.09.2017

2 आपका पत्र कमांक-फाव/वेतन निर्धारण/204 दिनांक 21.12.2020

खपरोकत विषयांतर्गत संदर्भित एत्र के अनुक्रम में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदेश क शासकीय महाहित्यलयों में कार्यरत राहासक प्राप्यापक / कीड़ाधिकारी / ग्रंथपाल को पीएच.डी. / एम.फिल. वाका अन्य अन्य योग्यता हेतु प्रदाय अग्निम वेतनवृद्धि के संवर्ग में जब तक छत्तीसमढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग हत्स आदेश जारी नृती होता तब तक इन वेतनवृद्धियों को दिये जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही

सका के रक्ति। में पूर्व में निम्नलिखत प्रकरणों एवं कार्यालयीन पत्रों द्वारा पीएव.डी./एमफिल. न किस जाने के निदेश जारी किसे गये थे।

कार्यालयीन पत्र न्याचालरीन अकरण डब्ल्यूपी.एस. कगांक-512/2020 आदेश कमांक-1841/130/आउशि/राज. स्था / 2020 दिनांक 19.10.2020 क्रमांक-1877 / 288 / आउशि / राज. 2 न्यानालशीन प्रकरण डब्ल्यू पी.एस. कमांक-2672/2020 रथा / 2020 दिनांक 09.11.2020 कार्यालयीन पत्र कमांक 1907/338/ आउगि/राज.रथा/2020 दिनांक 27.11.2020

निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम/निर्देश अनुसार क्षीरच ही / एम किल वेदानवृद्धि के संबंध में एकजाई स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :

- इस्तीरागढ़ शासन, सद्य शिक्षा विमाग के आदेश कर्मांक-1221/एफ-2-10/2009/38-1 दिनांक 30. 03 2016 होस अविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ को दिनांक 01.61 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान हिटां वक्तामन) दिव जाने का निर्देश जारी किया गया है। उच्च निर्देश में पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के
 - कहिका-12(अ) में पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में पीएच.डी. / एम.फिल. जपाति घारकों को कमशः पांच तथा तीन अग्रिम वेतनवृद्धि की पाञ्चता होगी।
 - क्रीडेका चर्या में रोवारत रहते हुने वीएवडी / एमफिल स्थानि प्राप्त करने पर कमशा तीन तथा एक अधिभ वेतनकृदि की पात्रता होगी, परन्तु एका लाग विनाक 01.09.2008 के पूर्व देस नहीं होंगे।
 - कंटिका १२(व) दिवाक 01.01.2006 से पूर्व पीएव ही / एम फिल उपाधि धारकों को पुनरीक्षित वेतनमान
- 2. अ.म. शासन अल्ल शिक्षा कियान के आदेश कमान एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26,09,2018 के द्वारा प्रदेश के शासकीय महर्विद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पदस्थ प्रावारी, प्रायमानः, सात्रपक प्राध्यापक, कीहाविकारी एवं ग्रंथमान को दिनांक 01.01.2016 से प्रारोशित वेतनगान (त्या वेतनगान) श्रीकृति का निर्देश जारी हुआ है। वज्य निर्देश में भी एवरडी /एम.फिल. की

A of or on the state of the sta

and Pierra

ब्लॉक-3, ब्रितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) (फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

कृतांक २१ १५ / ३३६ / आउशि / राज स्था / २०२०

-wow.highereduceilon.cg.gov.in) गवा रायपुर, अटल नगर दिनांक. २. ते. ०८८ ४ \

महालेखाकार, छत्तीरागढ, जीरो पाइंट, विधानरामा मार्ग, सयपुर (छ.ग.)

पीएच ही /एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण। 1. कामीलयीन पत्र कमांक-507/1092/आउशि/राज.स्था/2017 दिनांक 26.09.2017

2 आपका पत्र कमांक-फाव/वेतन निर्धारण/204 दिनांक 21.12.2020

खपरोकत विषयांतर्गत संदर्भित एत्र के अनुक्रम में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदेश क शासकीय महाहित्यलयों में कार्यरत राहासक प्राप्यापक / कीड़ाधिकारी / ग्रंथपाल को पीएच.डी. / एम.फिल. वाका अन्य अन्य योग्यता हेतु प्रदाय अग्निम वेतनवृद्धि के संवर्ग में जब तक छत्तीसमढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग हत्स आदेश जारी नृती होता तब तक इन वेतनवृद्धियों को दिये जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही

सका के रक्ति। में पूर्व में निम्नलिखत प्रकरणों एवं कार्यालयीन पत्रों द्वारा पीएव.डी./एमफिल. न किस जाने के निदेश जारी किसे गये थे।

कार्यालयीन पत्र न्याचालरीन अकरण डब्ल्यूपी.एस. कगांक-512/2020 आदेश कमांक-1841/130/आउशि/राज. स्था / 2020 दिनांक 19.10.2020 क्रमांक-1877 / 288 / आउशि / राज. 2 न्यानालशीन प्रकरण डब्ल्यू पी.एस. कमांक-2672/2020 रथा / 2020 दिनांक 09.11.2020 कार्यालयीन पत्र कमांक 1907/338/ आउगि/राज.रथा/2020 दिनांक 27.11.2020

निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम/निर्देश अनुसार क्षीरच ही / एम किल वेदानवृद्धि के संबंध में एकजाई स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :

- इस्तीरागढ़ शासन, सद्य शिक्षा विमाग के आदेश कर्मांक-1221/एफ-2-10/2009/38-1 दिनांक 30. 03 2016 होस अविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ को दिनांक 01.61 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान हिटां वक्तामन) दिव जाने का निर्देश जारी किया गया है। उच्च निर्देश में पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के
 - कहिका-12(अ) में पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में पीएच.डी. / एम.फिल. जपाति घारकों को कमशः पांच तथा तीन अग्रिम वेतनवृद्धि की पाञ्चता होगी।
 - क्रीडेका चर्या में रोवारत रहते हुने वीएवडी / एमफिल स्थानि प्राप्त करने पर कमशा तीन तथा एक अधिभ वेतनकृदि की पात्रता होगी, परन्तु एका लाग विनाक 01.09.2008 के पूर्व देस नहीं होंगे।
 - कंटिका १२(व) दिवाक 01.01.2006 से पूर्व पीएव ही / एम फिल उपाधि धारकों को पुनरीक्षित वेतनमान
- 2. अ.म. शासन अल्ल शिक्षा कियान के आदेश कमान एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26,09,2018 के द्वारा प्रदेश के शासकीय महर्विद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पदस्थ प्रावारी, प्रायमानः, सात्रपक प्राध्यापक, कीहाविकारी एवं ग्रंथमान को दिनांक 01.01.2016 से प्रारोशित वेतनगान (त्या वेतनगान) श्रीकृति का निर्देश जारी हुआ है। वज्य निर्देश में भी एवरडी /एम.फिल. की

A of or on the state of the sta

and Pierra

भ निम्बनियारस अनुसान आयोग के परिपन्न कमांक-23-4/2017(पीएस) दिनांक 31.01.2018 के साथ रालम्ब भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.11.2017 की कण्डिका-8 में विम्ब सल्लेखित हैं:-

"The inventive structure is built-in the pay structure itself wherein those having M.Phil or Ph.D degree will progress faster under CAS. Therefore, there shall be no inventives in form of advance increments for obtaining the degrees of M.Phil or Ph.D."

क एक कितन, विवेश के अनुसार कार्यालयीन पत्र कमाक-507/1092/आउशि/राज.स्था/2017 दिनांक 26.09.2017 के संबंध में पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में पात्रता निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विमाग के आदेश क्रमांक—1221/एफ—2—10/2009/38—1 दिनांक 30.03.2010 हारा पुनरीक्षित वेतनमान (६वां वेतनागन) अनुसार दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015 तक की अविध में नियुक्त अथवा सेवारत अधिकारियों, जिन्होंने उच्च शिक्षा विमाग के परिपत्र १वांक 3801/एफ 2 3/2011/38—1 दिनांक 31.10.2012 अनुसार मापदण्ड के तहत् प्राप्त पीएचडी/एमफिल उपाधि धारकों को शासनादेश के कंडिका—12(अ), 12(व) एवं 12(स) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नियमानुसार होगी।

2. छ.ग.शारान उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा पुनरीक्षित, वेतनमान (7वां वेतनमान) दिनांक 01.01.2016 से लागू है, जिसमें पीएच.डी./एम.फिल. वेतनमृद्धि पदान करने के संबंध में प्रावधान नहीं है। अतः दिनांक 01.01.2016 से/पश्चात नियुक्त अथवा पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि अर्जित करने वाले सेवारत अधिकारियों को वर्तमान नियम/निर्देश के अधीन पीएच.डी./एम.फिल. अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार सेवापुरितकाओं में वेतन निर्धारण आदि के सत्यापन संबंधी कार्यवाही

सारते का कार करें

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर सैवालक उच्च शिक्षा संवालनालय, अटल नगर, नवा संयपुर (छ.म.)

पु.कामक ७ : २०/ ३३४/ आसारी/ राज,रथा./ 2020 तर्भारती अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक. 2.4.00 ८)

- ा सचिव, छ.ग.शारान, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)।
- 2. अपर संवालक, रामस्त क्षेत्रीय कार्यालय (रायपुर/दुर्ग/सरगुजा/विलापुर/वस्तर)।
- 3. प्राचार्य, समस्त अभ्रणी महाविद्यालय।
- प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय।
- . अन्य अञ्चलको, आयार्थ प्रकोष्ड/न्यायालयीन प्रकोष्ड, सञ्च शिक्षा संवालनालय, नवा सयपुर अटल नगर (छ.ग.)।

.....की और सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.म.) भ निम्बनियारस अनुसान आयोग के परिपन्न कमांक-23-4/2017(पीएस) दिनांक 31.01.2018 के साथ रालम्ब भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.11.2017 की कण्डिका-8 में विम्ब सल्लेखित हैं:-

"The inventive structure is built-in the pay structure itself wherein those having M.Phil or Ph.D degree will progress faster under CAS. Therefore, there shall be no inventives in form of advance increments for obtaining the degrees of M.Phil or Ph.D."

क एक कितन, विवेश के अनुसार कार्यालयीन पत्र कमाक-507/1092/आउशि/राज.स्था/2017 दिनांक 26.09.2017 के संबंध में पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में पात्रता निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विमाग के आदेश क्रमांक—1221/एफ—2—10/2009/38—1 दिनांक 30.03.2010 हारा पुनरीक्षित वेतनमान (६वां वेतनागन) अनुसार दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015 तक की अविध में नियुक्त अथवा सेवारत अधिकारियों, जिन्होंने उच्च शिक्षा विमाग के परिपत्र १वांक 3801/एफ 2 3/2011/38—1 दिनांक 31.10.2012 अनुसार मापदण्ड के तहत् प्राप्त पीएचडी/एमफिल उपाधि धारकों को शासनादेश के कंडिका—12(अ), 12(व) एवं 12(स) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नियमानुसार होगी।

2. छ.ग.शारान उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा पुनरीक्षित, वेतनमान (7वां वेतनमान) दिनांक 01.01.2016 से लागू है, जिसमें पीएच.डी./एम.फिल. वेतनमृद्धि पदान करने के संबंध में प्रावधान नहीं है। अतः दिनांक 01.01.2016 से/पश्चात नियुक्त अथवा पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि अर्जित करने वाले सेवारत अधिकारियों को वर्तमान नियम/निर्देश के अधीन पीएच.डी./एम.फिल. अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार सेवापुरितकाओं में वेतन निर्धारण आदि के सत्यापन संबंधी कार्यवाही

सारते का कार करें

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर सैवालक उच्च शिक्षा संवालनालय, अटल नगर, नवा संयपुर (छ.म.)

पु.कामक ७ : २०/ ३३४/ आसारी/ राज,रथा./ 2020 तर्भारती अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक. 2.4.00 ८)

- ा सचिव, छ.ग.शारान, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)।
- 2. अपर संवालक, रामस्त क्षेत्रीय कार्यालय (रायपुर/दुर्ग/सरगुजा/विलापुर/वस्तर)।
- 3. प्राचार्य, समस्त अभ्रणी महाविद्यालय।
- प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय।
- . अन्य अञ्चलको, आयार्थ प्रकोष्ड/न्यायालयीन प्रकोष्ड, सञ्च शिक्षा संवालनालय, नवा सयपुर अटल नगर (छ.ग.)।

.....की और सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.म.)

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय

महानदी भवन, नेवा रायपुर अटल नगर

709 / एफ 2013-04-00416 / वि / नि / चार,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022

शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागायुक्त समस्त कलेक्टर

विषय - राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक ा अक्टूबर 2022 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 536/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 16.08.2022 हारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह अगस्त, 2022 से सातवें वेतनमान में 28% की दर से तथा छठवें वेतनगान में 189% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महनाई भत्ता दिया जाये:-

वेतनगान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
The second secon	दिनांक 1 अक्टूबर 2022	5%	33%
	दिनांक 1 अक्टूबर 2022	12%	201%

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।

महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

महगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अपले उच्चतर रूपयों में पूर्णिकंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। य आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान

से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय

महानदी भवन, नेवा रायपुर अटल नगर

709 / एफ 2013-04-00416 / वि / नि / चार,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022

शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागायुक्त समस्त कलेक्टर

विषय - राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक ा अक्टूबर 2022 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 536/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 16.08.2022 हारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह अगस्त, 2022 से सातवें वेतनमान में 28% की दर से तथा छठवें वेतनगान में 189% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महनाई भत्ता दिया जाये:-

वेतनगान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
The second secon	दिनांक 1 अक्टूबर 2022	5%	33%
	दिनांक 1 अक्टूबर 2022	12%	201%

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।

महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

महगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अपले उच्चतर रूपयों में पूर्णिकंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। य आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान

से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022 पु. क्र. 710 / एफ 2013-04-00416 / वि / नि / चार, राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर रिजस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर सविव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर ङत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर संवालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़ समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ लवालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर - को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

— को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु रावालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट cofinance nic in में अपलोड करने हेत

www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

वेत

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022 पु. क्र. 710 / एफ 2013-04-00416 / वि / नि / चार, राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर रिजस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर सविव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर ङत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर संवालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़ समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ लवालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर - को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

— को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु रावालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट cofinance nic in में अपलोड करने हेत

www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

वेत

W

वे इस सुविधा का लाभ www.cg.nic.in/gadonline से उक्त प्रोग्राम को डाउनलोड करके यात्रा दयक तैयार कर सकते हैं। 3. अतः इस संबंध में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2056/2011/1-8, दिनांक 3-10-2011]

7. स्थानान्तरण यात्रा भत्ता :

से प्राप्त करने का अधिकार होगा, बरातें उसका स्थानांतर प्रशासनिक हुआ हो -स्थानान्तरण होने पर यात्रा करने हेतु शासकीय कर्मचारी को यात्रा प्रतिपूर्ति राशि शासन

- वास्तविक किराया प्रापत होगा जिस श्रेणी में वह यात्रा करने की पात्रता रखता है, परन्तु उसे हवाई यात्रा या बातानुकूलित प्रथम श्रेणी से यात्रा की पात्रता नहीं होगी। (1) यात्रा व्यय - स्वयं तथा आश्रित परिवार के सदस्यों के लिये भी उस श्रेणी का
- प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिये एक-एक दैनिक भत्ता तथा 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिये आधा दैनिक भत्ता, प्राप्त करने की पात्रता होगी। (2) दैनिक भता - कर्मचारी को साधारण दर से एक दैनिक भत्ता तथा परिवार के
- के परिवहन हेतु पूरक नियम 81-डी के प्रतिबन्धों के साथ वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की पातता (3) कार आदि वाहन परिवहन के लिये - कार/मोटर-साईकिल या अन्य वाहन

में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति हो सकेगी। बास्तविक व्यय या मालगाड़ी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिये दर्शायी गयी अधिकतम सीमा दोनों (4) घरेलू सामान परिवहन व्यय - घरेलू सामान रेल द्वारा परिवहन होता है तो

परिवहन व्यय जो भी कम हो की पात्रता होगी। सामान सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है तो वास्तविक व्यय या निम्न सीमा तक

परिवहनं कर सकता है। टीप - शासकीय कर्मचारी को छूट है कि वह घरेलू सामान रेल अथवा सड़क से [पूक नियम 81-ए/81-सी]

8. अन्य यात्राओं के लिये यात्रा-भत्ता :-

किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यात्रा-भत्ता

- यात्रा भत्ता पूरक नियम 92 व 94 के अंतर्गत पात्रता होगी जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा (वैकल्पिक) में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है। (i) शासकीय सेवक जिन्हें विभागीय परीक्षाएं अनिवायत: उत्तीर्ण करनी होती हैं अथवा
- समयाविध में (यदि निश्चित है) उत्तीर्ण कर ली गई हो। याजा-भत्ता (परन्तु विराम के लिये नहीं) देय है, किन्तु यह भत्ता तभी मिल सकता है जब परीक्षा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, परीक्षा स्थल तक जाने और आने का दौरे के समान (ii) अनिवार्य परीक्षाओं के लिये यात्रा भत्ता - ऐसे शासकीय सेवकों के लिये उन्हें

यात्रा एवं दैनिक भत्ता नियम

325

मतानुसार सम्मिलित होने वाली परीक्षा की तैयारी में घोर उपेक्षा की गई हो। टीप - सक्षम प्राधिकारी परीक्षार्थी का यात्रा भत्ता अस्वीकृत कर सकता है, यदि उसके

पात्रता हे, यदि परीक्षार्थी को -तक जाने तथा आने के लिये दीरे के समान यात्रा-भत्ता (परन्तु विराम के लिये नहीं) पाने की (3) ऐच्छिक परीक्षाओं के लिये यात्रा-भत्ता - शासकीय सेवकों को परीक्षास्थान

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित दी गई है, तथा

(ii) परीक्षा में यथोचित स्तर दर्शाया हो।

यात्रा भत्ता का पूरक नियम देखा जाना चाहिए। टीप - किन-किन अधिकारियों को कितने अवसर का यात्रा भत्ता देव है इसके लिये

गवाही देने, विभागीय जांच में उपस्थित होने अथवा दीवानी या फौजदारी दोषारोपों के उत्तर देने हेतु यात्रा भता

के सम्मुख साक्ष्य के लिये बुलाया जाता है, निम्न प्रावधान लागू होगा :-प्रकरण हेतु जिसमें शासन एक पक्ष है या उचित रुप से स्थापित प्राधिकारी द्वारा विभागीय जांच अनुसार ज्ञात हुए हैं, किसी फौजदारी प्रकरण में, कोर्ट-मार्शल के समक्ष किसी ऐसे दीवानी (1) किसी शासकीय सेवक को साध्य देना है, वे उसके शासकीय सेवा में प्राप्त ज्ञान के

(ii) कि उसे न्यायालय या प्राधिकारी से कोई अन्य भुगतान स्वीकार नहीं करना कि उपस्थिति प्रमाण-पत्र जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी जिसने उसे बुलाया था, से मिला हो, संलग्न कर दौरे पर की गई बात्राओं के समान बात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है।

चाहिये। न्यायालय में जमा की गयी गवाह के यात्रा भत्ते और निवाह भत्ते (अर्थात्

) कि न्यायालय वह स्थान जहाँ वह गवाही देता है, उसके मुख्यालय से 8 कि.मी. के न वह स्थायी यात्रा भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वह न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला अदर हैं और इस कारण उसे यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं हैं और यात्रा का वास्तविक व्यय ले सकता है। भोजन ब्यय आदि) के लिये फीस शासकीय खाते में जमा कर देनी चाहिये

कोई धनराशि निर्वाह भत्ता या क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान प्राप्त करता है तो वह धनराशि उसे शासकीय सेवक होने के नाते कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि न्यायालय से यात्रा भने के अतिरिक्त साध्य देने के लिये बुलाया जाये तो त्यायालय के नियमों के अंतर्गत स्वीकृत भुगतान के अतिरक्त की दशा में इस प्रकार की सुविधा केवल राज्य सरकार की विशेष अनुमति ही दो वा सकती है से/को उपयुक्त नियम के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का अधिकारी है किन्तु निलम्बित अधिकारी (3) शासकीय सेवक को उक्त कंडिका में वर्णित स्थिति के अतिरेक्त अन्य प्रकरणों में (2) सेवक जो अवकाश है तो उसे जहाँ से साक्ष्य देने के लिये बुलाया गया है, उस स्थान [टिप्पणी पूरक नियम 112]



वित्त निर्देश 10/2010

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग दाक कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 52/38/2010/वित्त/नियम/चार,

रायपुर, दिनांक 22.02.2010

प्रति.

भासन के समस्त विभाग.
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ । विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति। संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक (1) एफ.बी.-11/1187/नि-2/चार, दिनांक 16-4-1987,

- (2) एफ.बी. 11/1/87/आर-2/चार, दिनांक 15-6-1987,
- (3) एफ.बी. 11/1/(5)/89/नि.-2/चार, दिनांक 15-12-1989,
- (4) एफ.आर. 17-02-96/चार/ब-9, दिनांक 11-3-1996 एवं
- (5) 151/133/बि/नि/चार/2005, दिनांक 17-4-2005

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 151/133/वि/नि/चार/2005, दिनांक 17-4-2005 द्वारा ज्ञीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार गृह भाड़ा भत्ते को नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16-4-1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15-6-1987 में उल्लेखित शर्तों प्रवं प्रतिवंधों के अधीन निम्नानुसार होगी :-

豖.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर
1	'बी-2' श्रणी	रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर	मूल वेतन का 10 प्रतिशत
2	'सं।' श्रेणी	बिलामपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जन्दसंपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली-राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, जाटापारा, जाजगीर-चांपा	मूल वेतन का 7 प्रतिशत
3	अन्य क्षेत्र	. In _ 1000	मूल वेतन का 4 प्रतिशत
4	दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों हेतु		मूल वेतन का 30 प्रतिशत

NayakDADocuments and Settings RAJESH\My Documents\VirNardesh\pdf_2010\Doc File\10.doc

अधीयक प्रस्तिवेड

2/ गृह भीड़ा भत्ते की गणना के लिये 'मूल वेतन' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2009 में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैड में वेतन + ग्रेड वेतन) से हैं।

2009 में प्रारा पूरा जिला है कि स्वारा के स्वारा स्वारा

2.26 क गुणक स गुणा करने से श्री अपने वाले कर्मचारियों की सेवा 4/ ये आदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा

के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
5/ गृह भाड़ा भत्ते की ये दरें दिनांक 1-1-2010 (अर्थात् माह, जनवरी, 2010 का वेतन जो भरवरी, 2010 में देय हैं) से प्रभावशील होगी।

6/ यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत हो ।

असीरिक के कि असे

(एस.के. चकवर्ती) उप सचिव जलीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

10

कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के भत्तों की स्वीकृति प्रदान करती है। क्षतिपूरक भत्ते को मूलभूत कहा जायेगा। क्षतिपूरक भत्ते को कर्मचारी लाभ के म्रोत नहीं बना सकते। राज्य शासन अपने नियम 9(5) व मूल नियम 44 में परिभाषित किया गया है।

भाडा भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता तथा स्थानांतरण भत्ता जैसे भत्ते सम्मिलित होते हैं। यह भत्ते हो ऐसे भत्ते हैं जो कि अवकाश काल में भी ग्राह्य होते है। क्षतिपूक भत्ता कर्तव्य निष्पादन करते हुए अर्जित किया जा सकता है, जिसमें मूलतः गृह

प्राप्त होता है जो राज्य शासन के नियमानुकार एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। गृह भाड़ा भत्ता:- मकान किराया भता राज्य शासन के ऐसे सभी कमैचारियों को

(1) ऐसे शासकीय सेवकों को जो किराया के मकान पर रहते हो या स्वयं के या पत्नी के या पुत्र/पुत्री के मकान पर रहते हों मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी

(2) ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवाएँ स्थायी या अस्थायी हो मकान किराया भत्ता लिए पात्र नहीं होगे जो -पाने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसे शासकीय सेवक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के

(अ) वे लिन्हें वर्तमान बाजार दर पर वेतन/पारिश्रम प्राप्त होता है।

(ब) ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवात प्राप्त हो गया हो किन्तु उसे लेने से मना कर दिया हो।

ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकास्मिक निधि से वेतन का भुगतान हो रहा हो। ऐसे कर्मचारी जिन्हें अनुसूचित परियोजना क्षेत्र में पदस्थ होने के कारण निर्धारित स्वीकृत दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा है।

(F) ऐसे कर्मचारी जिन्हें निःशुल्क मकान प्राप्त हुआ हो या जिन्हें मकान के बदले गृह भाड़ा प्राप्त होना हो (पुलिस विभाग)।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारा।

निर्धारित की जाती है। मकान किराया भता की दर - कर्जान किराया भत्ता की दर राज्य सरकार द्वारा

दिनांक 16-4-1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15-6-1987 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार गृह भाड़ा भन्ने की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन बेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की बर्तमान दर्गों को अधीन निम्नानुसार होगी :-नि/चार/2005, दिनांक 17-4-2005 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के कर्मचारियों वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 151/133/वि/

पर साहरा १८नाक १.२.२०१३ से प्रभावशील होगा

la la	4.	ω.				2.	1.	I	8 1
शासन के कार्यालय हेतु	दिल्ली स्थित गान्य	असक्ष				一,年20年	'ब-2' श्रेकी		क्र. नगरों का वर्गीकरण
		भाटापास, चंपा-बांचगीर	राजहरा, अन्विकापुर, धमतरी,	जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली-	निशासपुर, कीरबा, राजनादगाव,	विश्वी श्री-मिलाई नगर		र्या का नाम	- diag
30 प्रतिशत	4 प्रतिशत				7 प्रतिशत	10 प्रतिशत	(मूल वेतन का)	गृह भाड़ा भते की दर	255

2009 में प्राप्त मूल बेतन (बेतन बैंड में बेतन+ग्रेड बेतन) से है। गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये 'मूल बेतन' से तात्ययं नवीन पुनरीक्षित वेतनमान,

गुणक से गुणा करने से प्राप्त राशि होगी। के प्रयोजन के लिये विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो), को 2.26 के पतिबंधों एवं शतों के अधीन होगी। इन कर्मचारियों के लिये गृह भाड़ा भत्ते की गणना हेतु वेतन रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने

मेवा के सदस्यों पा भी लग्रू होंगे। ये आदेश कार्यभारित एं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की

वेतन जे. ,,,(वरा, 2010 मं देय है) से प्रभावशील होगी। गृह भाइ भत्ते की थे दरे दिनांक 1-1-2010 (अर्थात माह जनवरी, 2010 का

अतगत हा। भुगतान पर किया गया व्यथ संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देव गृह भाड़ा भर्त के

हैं, उन्हें गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है। 17--04-2001 के अनुसार ऐसे शासकीय संबक्ष जो स्वयं के विकल्प पर भिलाई नगर में रह रहे सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र ऋमांक 2208/2001/साप्रवि, दिनांक [बि.बि. क्र. 52/38/2010/बित्त/नियम/चार, दिनांक 22-2-2010]

भत्ता की पात्रता होगी, किन्तु ऐसी पात्रता निम्नितिखत प्रकरणों में नहीं होगी :-मुख्यालय गृह भाड़ा भत्ता के प्रयोजन से रायपुर मानते हुए रायपुरुषिताई की दर से गृह भाड़ा कमचारी जो स्वयं के विकल्प पर भिलाई में किराये के आवास में निवास कर रहे हैं, उनका 2. उक्त विषय में स्पष्ट किया जाता है कि रायपुर स्थित कार्यालयों में पदस्थ ऐसे

यात्रा एवं दैनिक भता नियम

शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का

वि/नि/चार/2004, दि. 10-8-2007 एवं वि.वि. ज्ञापन क्र. 265/237/वि/नि/चार/ ज्ञापन क्र. 708/622/वि/नि/चार/2004, दि. 4-8-2004; वि.वि. ज्ञापन क्र. 237/622। शासकीय सेवकों की श्रेणी निधारित की गई थी, किन्तु दरों का पुनरीक्षण नहीं किया गया था। हारा यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए पात्रता हेतु छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में विभाग के ज्ञापन क्र. 392/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 5-12-2009 शासकीय सेवकों के लिये छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू होने के फलस्वरूप वित्त नियम, 1998 के अंतर्गत यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की दरें निर्धारित की गई है। राज्य के 2007, दि. 5-9-2007 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण संदर्भित वि.वि. ज्ञापन क्र. 273/562/वि/नि/चार/02, वि. 5-4-2003; वि.वि.

करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -विभाग के ज्ञापन दिनांक 5 दिसंबर, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये श्रेणीकरण को अधिक्रमित नियम, 2009 की वेतन संरचना में यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता की संगणना के प्रयोजनार्थ वित्त हित में वर्तमान श्रेणीकरण, यात्रा भत्ता की दर एवं स्वरूप में संशोधन का निर्णय लिया गया है :-शासन के विचाराधीन था। प्रस्ताब पर पूर्ण विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा व्यापक कर्मचारी 1. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण राज्य के शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ते की पात्रता एवं दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव

श्रेणीए-10000 या इससे अधिक प्रेड बेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. बेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।

श्रेणी बी - 7600 या इससे अधिक किन्तु 10000 से कम ग्रेड बेतन प्राप्त करने वाले समस्त अनिस-

4400 या इससे अधिक किन्तु 7600 से कम ग्रेड वेतन ग्राप्त करने वाले समस्त शासकीय संवक।

श्रेणी डी -2400 या इससे अधिक किन्तु 4400 से कम ग्रेड बेतन ग्राप्त करने वाले शासकीय

2400 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

यात्रा एवं हैनिक भत्ता नियम

- Amfe 2: पूरक नियम 20(सं) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार

	Г	J		1	•					
	-	ψ ₂		(भ)		\$		哥	А	120
3 /1911	,					[中2十		0/ 100	ए.सी. प्रथम श्रेण	राजधानी
					ए.सं. केसकार		एसा. चेयाकार	्बाब्धुंच स्तास		
राजानाम प्रचार, (बातानुकालत नहां)	शायनगान केली (जान	वातानुकूलित कुर्सीयान	शयनयान श्रेणी, (बातानुकूलित नहीं) एवं	श्रेणी को छोड़कर	रेल की उच्चतम श्रेणी, बातानुकूलित प्रथम	श्रेणी को छोड़कर	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम	रेल की उच्चतम श्रेणी	सामान्य	

निम्नानुसार होगी -"पार्सगढ़ यात्रा भेता नियम के पूरक नियम 21 के अनुसार हवाई यात्रा की पात्रता

(अ) एच.ए.ची. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

(ब) 8700 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंत एकोनामी क्लास के बाज के पात्र होंगे।

4. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन द्वारा सड़क (स) 7600 या इससे अधिक किंतु 8700 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु एकोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी -


(अ) श्रेणी ए, श्रेणी बी तथा श्रेणी सी के शासकीय सेवक को बातानुकूलित बस में यात्रा की पात्रता होगी

(ब) श्रेणी डी के शासकीय सेवक को गैर वातानुक्तित डीलक्स बस तथा वीडियां कोच से यात्रा की शावता होगी।

(H) श्रेणी ई के शासकीय सेवक को गैर बातानुक्लित फास्ट वेसेचर अथवा सुसर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पत्रता होगी।

5. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 25 के अनुसार मीन भत्ता की दी

निम्नानुसार हो ते -



10

4. शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना :-

सायकल एवं कम्प्यूटर क्रय हेतु निर्धारण शर्तों पर सब्याज ऋण की पात्रता है। विगत वर्षों मं संस्थाओं के माध्यम से भवन निर्माण, भवन/भूखंड क्रय, मोटर कार, मोटर सायकल, कम्प्यूटर, निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासकीय सेवकों को राज्य शासन के स्थान पर वित्तीय उपलब्ध कराने की योजनाएँ प्रारंभ की गई है। राज्य शासन द्वारा कर्मचारी के व्यापक हित में विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सुविधायुक्त शर्त तथा कम ब्याज दर पर व्यक्तिगत ऋण टेलिबिजन, रेफ्रिजेरेटर इत्यादि के क्रय तथा स्वयं अथवा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण की व्यवस्था की जाए। इस हेतु एक योजना तैयार की गई है, जो संलग्न है। (1) वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों को भवन ऋय/निर्माण, कार, मोटर सायकत्र,

में इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 191/2000/सी/चार, दिनांक 25 जनवरी 2000 तथा क्रमांक 1656/2000/सी/चार, दिनांक 1 अगस्त 2000 द्वारा जारी योजना को समाप्त किया जाता है। किस्तों का भुगतान किया जावेगा। निजी वित्तीय संस्थाओं से गृह निर्माण/वाहन ऋण के संबंध की कुछ किस्तें भुगतान की जा चुकी है, उन्हें पूर्ववत निर्धारित सीमा तक ऋण/अग्रिम की शेष प्रदाय की व्यवस्था समाप्त की जाती है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें पूर्व में स्वीकृत ऋण/अग्रिम (3) छत्तीसगढ़ वित्त संहिता में संशोधन के आदेश अलग से जारी किये जा रहें है। (2) उक्त योजना के लागू होने के फलस्वरुप राज्य शासन द्वारा इन उद्देश्यों हेतु ऋण

[बि.बि. क्र. 460/525/बि/नि/चार/2003, दिनांक 21-5-2004]

शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/क्रय, वाहन, कम्प्यूटर अन्य घरेलू उपकरण तथा उच्च शिक्षा आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना

से ऋण उपलब्ध कराने की योजना कहलायेगी।

1. योजना का नाम - यह योजना शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम

उपकरणों या बच्चों /स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराना है। संस्था से आवासीय प्लाट का क्रय, गृह निर्माण/क्रय, वाहन/कम्प्यूटर एवं अन्य घरेलू उपभोक्ता 2. उद्देश्य - इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को उनके द्वारा चयनित वित्तीय

3. प्रारंभ - यह योजना दिनांक 1-6-2004 से प्रारंभ होगी।

स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होगी। विस्तार - (i) यह योजना निम्नांकित वर्गों को छोड़कर राज्य शासन के समस्त

(अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी

(ब) दैनिक बेतन पर नियुक्त कर्मचारी

(स) आकस्मिकता निधि/कार्यभारित स्थापना के अस्थाई सदस्य

(ई) राज्य शासन में प्रतिनेशुक्ति पर आये कर्मचारी पुर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी

बेंकों/वित्तीय संस्थाओं से निम्नांकित उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा :-के लिए पत्र होगे जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनेयुक्ति पर है, उन पर भी यह योजना लागू होगी। अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति हेतु 2 वर्ष से अधिक अवधि शेष है, इस योजना के अंतर्गत कण लेने 5. ऋण का उद्देश्य - इस योजना के अतगत शासकीय कमेचारियों को व्यावसाविक्ष (ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की स्थायी/अस्थाई सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी

िकसी भी स्थान पर स्वयं के आवास हेतु आवासीय भू-खंड क्रय अथवा भवन के क्रय/निर्माण एवं परिवर्धन हेतु,

नवीन/पुराने वाहन के क्रय हेतु,

कम्प्यूटर/टेलीविजन/फ्रिजेरेटर क्रय हेतु,

(iv) राज्य शासन से पूर्व में लिए गए आवासीय प्लाट/भवन निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम की राशि के समय पूर्व भुगतान हेतु,

स्वयं तथा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु,

हेतु राज्य शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु व्यावसारिक बैंक/वित्तीय संस्था का चयन स्वयं करीं। इस वित्तीय संस्थाओं का चयन - शासकीय कर्मचारी बिटु क्रमांक 5 में दिये गये (vi) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरुप अन्य उद्देशों

सस्थाओं से लिए जाने वाले ऋणों पर लागू नहीं होगी। निर्धारित प्रक्रिया/नियमों का कर्मचारी को पालन करना आवश्यक होगा। यह योजना सहकारी संपत्ति पर प्रथम चार्ज बैंक/वित्तीय संस्था का रहेगा। ऋण हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा के आहरण एवं संवितरण अधिकारों को दी वावेगी एवं कर्मचारों के अभिलेख में रखी जावेगी। ्र अनुसार ऋण स्वीकृत कर सकता है। बैक द्वारा ऋण की स्वीकृति की एक प्रति मय शर्तों आदि उपलब्ध कराए जाएँने। बेंक/बित्तीय संस्था अपने द्वारा इस संबंध में निर्मित नियम के सीमा संपर्क कर सकते हैं। ऋण प्रदाय के लिए आवश्यक सभी प्रपत्र आदि संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा की पूर्व स्वीकृति के उपरांत (जहाँ आवश्यक हो) वित्तीय संस्था के नाम से अनुरांसा पत्र (परिशिष्ट-सवक इस अनुशंसा पत्र के साथ सीधे बैकों/वित्तीय संस्थाओं के स्थानीय कार्यालय/शाखा से 2) प्रदाय करेगा, जिसमें कर्मचारी के बेतन भत्ते आदि की प्रमाणित जानकारी होगी। शासकीय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत पूर्व स्वीकृति (जहाँ आवरयक हो), व अनुशंसा पत्र हेतु निवेदन करेगा। कार्यालय प्रमुख प्राधिकृत अधिकारी 7. ऋण की प्रक्रिया - शासकीय सेवक सलम परिषिष्ठ । में कार्यालय प्रमुख को

463

2.		- 34
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अदेश क्रमांक एफ 6-36/पंग्राविवि/ 22-2/2013, दिनांक 17-5-2013 द्वारा 8 (आठ) वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं व्याख्याता (पंचायत) को शासकीय शिक्षक के समतुष्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है।वया उन्हेंभी 'वस्तर भत्ता' की पात्रता होगी।	के राजपत्रित अधिकारी किसे माना जावे।	बिन्द
नहीं। उन्त आदेश केवल शासकीय सेवकों के लिए है, अतः पंचायत शिक्षकों को लागू नहीं होगा।	ख्लीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के शापन क्रमांक एफ 17-1/08/1/3 दिनांक 22 सितंबर, 2008 द्वारा राजपत्रित अधिकारी घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सीधी भरती और पदोजति से भरे जाने वाले बेतनमान 6500-10500 (वर्तमान 9300-34800 बेतन बेंड में 4400 ग्रेड बेतन) के पदों को राजपत्रित सेवा श्रेणी दो घोषित किया गया है, अतः अत बेतनमान में सीधी भरती या पदोजति से नियुक्त शासकीय सेवक बस्तर भत्ता की गणना हेतु द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी माना जाएगा।	स्पष्टीकरण

[वित्त एवं योजना विभाग इत. 386/एल-2013-56-00005/वि/मि/चार, दि. 6-9-13]

में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया आदेश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुन: विकल्प देने या पूर्व में कराये गये उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भवा स्वीकृत करने संबंधी राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप विभाग के संदर्भित ज्ञापन 145/एफ-2015-21-00650/वि/नि/चार, दिनांक 14-5-2015 द्वारा 23. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा - वित्त

के लिए एक और अवसर देने की मांग की जा रही है। राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ क्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा 2. विभिन विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन

विचार नहीं करेंगे।

विभिन प्रकार के भत्ते

प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव वित विभाग को विचारार्थ नहीं भेज जाना सुनिरिज्त सितम्बर, 2018 के उपरान्त विकल्प परिवर्षन के किसी भी प्रकरण पर विचय नहीं किया जाएगा। भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प रेते या पूर्व में दिया गया विकल्प पविवर्त करते हेत् दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दो जए कि दिनांक 30

हों, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे। निसकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गते परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के परचात उद्भुत खत्वों का हो 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प

करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त ज्ञापन को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार समेकित राज्य शासन के कर्मचारियों को उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भना स्वीकृत निर्देश जारी किये जाते हैं:-वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्र. जी-25/10/94/सी/बार, दिनांक 28-12-1994 हारा 24. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भने का पुनरीक्षण-्रिविश विभाग क्र. 358/एल 2018-71-00036/वि/ने/चार, दिनांक 27-07-2018]।

1. दोहरा कार्य भत्ता उसी स्थिति में देव होगा, जब किसी शासकीय सेवक को अपने इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित, औपचारिक आदेश नारी किया बावे। कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च रिवत पद का कार्य करने का निर्देश दिवा जाये तथा

3. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने की अवधि 15 दिन से कम होने ए यह भता देय नहीं होगा। किसी भी प्रकरण में इस भत्ते की अवधि। वर्ष से अधिक नहीं दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के 'ग्रेड वेतन' के 20 प्रतिशत के बराका देव होगा।

4. दोहरा कार्य भत्ता की पात्रता उन प्रकरणों में नहीं होगी, बहा उच्च पद निर्मित होने की तारीख से अथवा। वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त हो।

5. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा इस परित्र के साथ सलग्न प्रपत्र में जारी किया जायेगा।

6. यह भत्ता पे-बेंड-4 के पदों एवं उससे उच्च पदों पर कार्य निर्वहन करने की स्थिति में वेय नहीं होगा।

स्त्रीत से शिथिलीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो प्रशासकीय विभाग ऐसे प्रस्ताव पर सेवकों के प्रकरण में शिथिलीकृत नहीं किया जाएगा, अगर किसी विभागध्यक्ष या किसी अन्य 2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे। इन निर्देशों को विशिष्ट शासकीय 7. दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे।

यह अद्रिश दिनाक 1.2.2013 से प्रभावशील होगा

वित्त निर्देश 14/2013

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 107/एफ-1005279/वित्त/नियम/चार/2013

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल, 2013

शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागीय आयुक्त समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ।

प्रति.



विषय:-राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को <mark>कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता</mark> प्रदान करने बाबत् ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के कर्मचारियों को निम्नानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 4 (तीन) (ख) के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत ऐसे शासकीय सेवक जो बिन्दु क्रमांक (2) के अनुसार षात्रता नहीं रखते हैं, को 250 रूपये

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कीर्यालय द्वीरा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हो, उन्हें रूपये 500/- प्रतिमाह की दर

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. कमांक 136, दिनांक 28.03.2013 द्वारा सहमति दी गई है।

यह आद्रेश दिनांक 1.2.2013 से प्रभावशील होगा ।

any

(एस.०के० चकवर्ती) उंप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग ज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर । सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय । सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।

रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ०ग०) पिन कोड-495220 ।

सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।

- 5. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- 7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- 8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
- 9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
- 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
- 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
- 12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
- 13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
- 14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- 15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
- 16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
- 17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
- 18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
- 19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
- 20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
- 21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग

भत्ते की पात्रता थी तो वेतन निर्धारण हेतु अव्यवसायिक भत्ता पर देव महंगाई भत्ता शामिल करने िजसके अंतर्गत वेतन पुनरीक्षण नियम लागू होने की तिथि में यदि शासकीय सेवक को अव्यवसायिक का प्रावधान है।

पर उनकी अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता समाप्त हो जाती है। किन्तु छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण है। कालान्तर में उनके स्थान पर नियमित नियुक्ति होने या अन्य कारणों से उनके प्रभार मुक्त होने अस्थाई रूप से प्रशासकीय पदों का प्रभार सोंपा जाकर अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया जाता नियम, 2017 के अंतर्गत ततस्थानी वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु शामिल किये गये अञ्चवसाचिक भत्ता के महंगाई भत्ता की राशि चिकित्सा अधिकारी के प्रशासकीय पद के प्रभार से हटने के उपरांत भी मूल वेतन में शामिल रहती है। 2. राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि राज्य में कतिपन चिकित्सा अधिकारियों को

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण को तिथि पर किसी प्रशासकीय में प्राप्त वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत है अथवा प्रशासकीय पद पर कार्य करते हुए 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की नियुक्ति पुन: किसी प्रशासकीय पद पर होती है, तो पूर्व में प्रशासकीय पद धारण की अविध भत्ते को शामिल करते हुए अलग-अलग किया जाये। यदि भविष्य में ऐसे चिकित्सा अधिकारी के आधार पर एवं प्रशासकीय पद धारण करने के फलस्वरुप अव्यवसायिक भत्ते में देय महंगाई नहीं किये हैं, उनका वेतन निर्धारण दोनों बिधियों से अर्थात् सामान्य नियमों के अंतर्गत मूल वेतन 3. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो

पेशन की पात्रता होगी पेंशन की पात्रता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में सामान्य नियमों के अंतर्गत मूल वेतन के आधार पर आधकारों को प्रशासकीय पद पर 5 वर्ष को कुल सेवा पूर्ण किये बिना सेवानिवृत्त होने पर की पात्रता हेतु प्रशासकीय पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है। अत: ऐसे चिकित्सा अञ्चवसायिक भत्ते में देव महंगाई भत्ता को शामिल करके की गई वेतन निर्धारण के आधार पर 4. अव्यवसायिक भत्ते में देव महंगाई भत्ते के आधार पर की गई वेतन निर्धारण पर पेंशन

िवित्त विभाग ऋ. 362/एफ 2019-53-01930/बि/नि/चार, दिनांक 08-08-2019

मानते हुए दिनांक 1-4-2013 से रुपये 600/- प्रतिमाह विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत करने का प्राथमिक शाला, व्याख्याता/प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं प्राचार्यों को विशेष प्रकरण घोषित किये जा चुके शिक्षक संवर्ग के कार्यरत सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक/प्रधान पाठक शासन द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के डाइंग कैडर 27. शिक्षक संवर्ग को विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत करने बाबत् :- राज्य

किया जावेगा तथा अन्य भत्ते या हितलाभ की गणना में भी शामिल नहीं किया जावेगा। वित्त एवं योजना विभाग क्र. 99/एफ-1003875/बित्त/नियम/चार/12, दिनांक 1-4-2013] 2. यह विशेष गतिरोध भत्ता मूल नियम 9(21) के तहत् वेतन के रूप में शामिल नहीं

> का निर्णय लिया गया है:-भत्ता प्रदान करने बाबत :- राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के कर्मचारियों को निम्नानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किये जाने _28. राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी। (2) के अनुसार पात्रता नहीं राखते हैं, को 250 रुपये प्रतिमाह की दर से वर्गीय) कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत ऐसे शासकीय सेवक जो बिन्दु क्रमांक 4(तीन)(ख) के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों करते हो, उन्हें रुपये 500/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेशन प्रतिषंदा की गति पात्रता होगो |

यह आदेश दिनांक 1-2-2013 से प्रभावशील होगा

कीयल परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाएगा तथा कर्मचारियों को उक्त परीक्षा मे शामिल होने हेतु अधिकतम तीन अवसर प्रदान किये जायेगे। [बिच एवं योजना विभाग क्र. 107/एफ-1005279/बिच/नियम/चार/2013, दिनांक 3-4-2013] उक्त ारिपत्र के संदर्भ में राज्य शासन ने विचासपरांत निर्णय लिया गया है कि उक्त

भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :-ब्हे. छोड़कर) बाहन चालकों को निम्न शतों के अधीन 200/- रु. प्रतिमाह की दर से मोबाईल द्रारा नियमित,' कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना एवं संविदा पर नियुक्त (दैनिक वेतन भोगियो |विच एवं योजना विभाग क्र. 145/एक-2015-71-00377/वि./नि./चार, दिनांक 14-8-2015| 29. बाहन चालकों को मोबाईल भत्ता प्रदाय करने बाबत् :- राज्य शासन

बाहन चालक के पास स्वयं का 'मोबाईल सेट' एवं 'सिम' होना चाहिए, को दिया जाएगा। जिसकी लिखित जानकारी मोबाईल नंबर सहित, स्वीकृतकर्ता अधिकारी

मोबाईल चालू हालत में होना चाहिए ताकि वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर मोबाईल भत्ता बंद/स्थगित किया जा सकेगा आवश्यकतानुसार वाहन चालक से संपर्क स्थापित किया जा सके, अन्यथा

3. भत्ते का भुगतान नियमित वेतनिक अवकाश की अवधि में भी किया जाएग बशतें कि निरंतर अवकाश की अवधि 15 दिवस से अधिक न हो।

्रहाराक् भारति पृष्ट (पृथ्विस) विभागः पंजालयः

गहानदी भावन, राष्ट्र-492002

क्रमांक एक 3-88/2011/गृह-दो

रायपुर, दिनांक 13 /02 / 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्य भण्डल, बिलासपुर,
समस्त सभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।



विषय - वर्दी सिलाई/घुलाई दरों का पुनरीक्षण।

राज्य शासन एतट्हारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने वाली वर्दियों की निर्धारित सिलाई/धुलाई दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है । यह दरें आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी:—

कं.	वर्दी का नाम	विभागीय आदेश दिनांक 04.08.2011 द्वारा निर्धारित दंर	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षितः दर (प्रति नग)
01	02	03	04
1.	बटन अप कोट	₹5. 130 / -	रू. 250 / -(के. दो सी पंचास)
2.	ट्राउजर	रन 80 /	रू. 135 / - (रू. एक सी पैतिस).
3:	गांधी ट्रांपी	₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹	रू. 40 /- (रू. चालिस्)
4.	पायजामा :	₹5, 40/-	रू. 60 / - (क. सांट)
5.	बुशर्ट / हाफ कोट	₹i. 80 / −	रू. 100 / - (ल. एक सां)
6	गरम ऊनी कोट	₹, 600/-	रू. 750 / - (क. सात सी पचास)
7	ब्लाउज / सलुखा	₹5. 40/-	र्फ. 50 / - (फ. पचास)
8.	पेटीकोट		ক. 30 /- (ফ: तीस) ·

2/ वर्दी धुलाई भत्ता रू0 50/- के स्थान पर रू0 75/- प्रतिमाह की दर से देख होगा ।

3/ इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के प्रावधानित बजट के अतर्गत विकलनीय होगा ।

4/ यह स्वीकृति नित्त विभाग के जावक क्रमांक एफ-2014-02-00681/ब-1/ चार/2015, दिनांक 22.01.2015 के धरा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई

्र फ़त्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> (पाठडी oपुरविया) अवर सचिव

छतीसगढ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

्क्री

of Spirit Alle

6-2014 के तहत् नया रायपुर में निवासरत कर्मचारियों को निःशुल्क बस सुविधा अथवा जहन जावेगा कि अधिकारी कर्मचारी द्वारा निःशुल्क वस सुविधा का चयन किया गया है। भता दोनों में से किसी एक को चयन करने का विकल्प है। विकल्प न देने की स्थिति में यह माना वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्र. 248/एल 2013-01-00151/बि/नि/चार, दिनांक 2-

पास सुविधा के विकल्प का परित्याग कर बाहन भन्ना का चयन करना चाहता है तो उसे ऐसी प्रमुख का प्रत्यायोजित किया जा है। पात्रता दी जाए। उक्त विकल्प परिवर्तन की स्वीकृति का अधिकार शासकीय सेवक के कार्यालय 2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी मुक्त बस

[बित्त विभाग क्र. 251/एफ 2018-01-01458/बि/नि/चार, दिनांक 28-05-2018]

जोकि दृष्टिहीन, मुक्त बधिर या मानसिक रुप से अल्पविकसित या अस्थिबाधित या अन्य विकलांगों को कार्यस्थल तक आने जाने के लिए शासन द्वारा उनके मूल वेतन का 5% अर्थात् स्वीकृत होगा। जिसके लिये निम्न शर्ते लागू होगा :-न्यूनतम रु. 300/- और अधिकतम रु. 500/- विकलांग वाहन भत्ता शीर्षक के अन्तर्गत भत्ता 5. विकलांगों को वाहन भत्ता - ऐसे कार्यभारित एवं नियमित स्थापना के कर्मचारी

अन्य भत्तों के अतिरिक्त यह भत्ता देय होगा।

(2) दोनों भागों में न्यूनतम 40% स्थायी या आंशिक रूप से विकृत हो। ऐसे कर्मचारी वाहन भत्ते के लिए योग्य होंगे जो शरीर के ऊपरी या नीचले

(3) यह भत्ता सिविल सर्जन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के द्वारा देव होगा।

4 यह शता दृष्टिहीन कर्मचारी को भी जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।

(5) निलम्बन अवधि पर भुगतान योग्य नहीं होगा। यह भत्ता आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश अविध या

यह भता 1 सितम्बर, 2010 से देय होगा।

[समाज कल्याण विभाग पत्र क्र. 977/116/2010/स.का./26, दिनांक 16-9-2010 इस भत्ते का आहरण कर्मचारी के कार्यरत कार्यालय से किया जायेगा जिस प्रकार सामान्य बाहन भत्ते पर किये गये व्यय की पूर्ति की जाती है

रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया है। से छत्तीसगढ़ मंत्रालय में संलग्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 1-8-2003 से 100 28 जुलाई, 2003 द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पदस्थ तथा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के लिए - वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञापन क्रमांक 592/19/बि/नि/चार/2003, दिनांक 6. वाहन भत्ताराज्य परिवहन निगम के प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों

विभिन प्रकार के भने

में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उन्हें भी 100 रु. प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाए। एवं चतुर्थ श्रेणी के पूर्व कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम से मंत्रालय स्थापना यह स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि हे लागू होगा। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य परिवहन नियम के तृतीय

[बित्त एवं थोजना विभाग क. 37/1005/बि/बि/2004, दिनांक 28-1-2005]

क्रमांक ए-1/87/नि-2/चार/दिनांक 28-5-87 के अनुसार औसत मासिक वितरण नगट राशि पर भने का दर निम्नानुसार है :-रोकडिया बारो नगद भक्ता - मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन

表. 10,001 社 25,000 तक 表. 30 प्र.मा 表. 25,001 社 50,000 表. 40 प्र.मा	
ত্ৰ ক	₹.4
কা	₹. 30
	₹. 20

कार्यालय में वर्दी पहनकर आते हों। आदेश प्रसारित किया है। यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों के लिए देव होगा जो नियमित रूप से आईता रखने वाले कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भन्ना 75.00 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का आदेश क्रमांक एक 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13 फरवरी, 2015 के ज्ञापन अनुसार _8. वर्दी सिलाई/धुलाई भत्ता - छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के

से संशोधित कर लागू किया -वाले वर्दियों की सिलाई/धुलाई दर को आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-2-2015 वर्दी सिलाई की दर - छत्तीसगढ़ शासन हारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने

अमां क	वर्टी का नाम	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षित दर (प्रति नग)
-	बटन अप कोट	₹. 250/-
2	ट्रंडचर	্ল
<u>.</u> .	गाँधी टोपी	ক
4.	पायजामा	01
S	बुरार्ट/हाफ कोट	₹. 100/-
6.	गरम अनी कोट	
7.	ब्लाउज/सलुखा	
	वेटीकोट	ঞ

[गृह (पुलिस) विभाग क्र. एक 3-88/2011/गृह-दो, रायपुर, दिनांक 13-2-2015]



हैमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) (पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग) रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001 quniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरमाष : 0

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359300

क्र. 1404 / परीक्षा / 2019

दुर्ग, दिनांक .. ११/03/2019

!! अधिसूचना !!

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक दिनांक 13.09.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 04 में Ordinance No. 5 Conduct of Examinations (APPENDIX: Remuneration for Examination Work) का अनुमोदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

APPENDIX REMUNERATION FOR EXAMINATION WORK

						Approved Rate in Rs.
1. The	Scale of	Rem	uneration of paper setter /	examiners as follo	ws viz:-	
(i)	For	Ph.D.,	D.Sc. & D.Lit. examinaton	s:		
	(a)	Rea	ading a Thesis for Ph.D.			2500
	(b)	Pra	etical and Viva-Voce examin	nation for Ph.D.		1500
	(c)	Rea	ading a Thesis for D.Sc. or D	Litt.		3500
	(d)	Pra	ectical and Viva-Voce examin	nation for D.Sc. or	D.Litt	1500
/ (ii)	For	M.Phi	il, PG and PG Diploma Exa	iminations:		
	(a)	Set	ting a Question Paper	New pattern	With answer key	2000
					Without answer key	1800
				Old Pattern		1000
	(b)	Val	uation of answer book	New pattern		25
						(Min. 200)
				Old Pattern		15
						(Min. 100)
	(c)	(1)	Reading the Thesis/Disser PG & PG Diploma Examin		ce of a candidate for	120
		(2)	Reading a project report/fi & PG Diploma Examination		rt of a candidate for PG	120
		(3)	M. Phil Dissertation/Project	et Report Valuation	and Viva-Voce.	100+50
	(d)	Viva	a-Voce/Practical Examination	on of each candidate	e	15
						(Min.500)
(iii)	For U	G Exa	iminations:			
	(a)	Setti	ing a Question Paper			900
	(b)	Valu	nation of answer book			15
						(Min. 100)
	(c)	Cone	ducting Practical Examinat	ion per Candidate t	o each Internal and	12
		Exte	rnal Examiners per Centre.			(Min. 500)

)	All Di	All Diploma/Certificate Courses:						
	(a)	Setting a Owner.						
		Setting a Question Paper						
	(b)	Valuation of and	600					
		Valuation of each answer book	600					
			15					
	(c)	Conducting Proces	(Min. Rs.100					
		Conducting Practical Examination of each candidate						
	Misce	laneous:	12					
	(a)		(Min. Rs. 400					
		Remuneration to Head examiners per valuation day. This fee includes remuneration for drafting of instructions, issue of models etc. No.	400					
	(b)	Crafting detailed memorandum of the						
		(Where no model answer are sent by head examiner and the answer books examined by Co-examiners are not re-examined by head examiner)	600					
	(c)	For supplying more than two but not exceeding six copies of question papers in addition to the required number of two.	100					
	(d)	For translation of paper from English to Hindi medium or other Indian Language and Vice-Versa.	200					
	Note:							
	(a)	If a paper is set by two examiners the remuneration shill be divided equally between them excepting in B.Ed.						
	(b)	If a paper for an examination consists of two sections, both of which are compulsory, the remuneration payable for examine each answer book in a section shall be half the remuneration prescribed for examining each answer book in the full paper.						
	(c)	(1) The answer books weighing two or more than two or more than two kilograms will be sent by the examiners to the university by railway and the railway freight charged thus incurred by the examiner in sending the packets will be paid by the university.						
		(2) The actual postal expenses incurred by the examiners in sending the packets of answer book less than two kilogram and also the award list to the university shall be paid by the university.						
		(3) Amount payable to the local examiners for bringing or sending the answer-books and award lists to the university shall be	Rs. 100					
		Remuneration for re-examination of answer book (for revaluation) to	40 Rs.					
	(d)	Remuneration for re-examination of anything each examiner	(Min.Rs. 100.00)					

2.	THE FOLLOWING SHALL DE TOWN
	THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATIONS FOR THE WORK OBTAINED EXAMINEES VIZ:-
	OBTAINED EXAMINED AND OF RESULTS AND ISSUE OF STATEMENT WORK
	CACHINEES VIZ:-

	(i)	(a)	Tabulation of result per hundred candidates	
				100
		(b)	Collation of results per hundred candidates	(Min. 100.)
			or results per hundred candidates	80
				(Min. 80)
		(c)	Checking /Scrutinizing per hundred candidates	40
				(Min. 40)
	(ii)	Fo	writing of ctotomast -6	(
	(iii)	Fo	or writing of statement of marks-each marks sheet.	1 -
			or Checking / Scrutinizing of statement of marks- each mark sheet	1
	(iv)		or writing of each Degree /Diploma / Certificate	5
	(v)	Fo sc	or Checking / Scrutinizing of Degree/Diploma/Certificate - each Checker/ rutiner.	2
3.	iesi	sect of	remuneration that a single person shall be entitled to draw from the university in one academic session for any or all of the work mentioned under paragraph 1 lbe Rs.	50000
	(All	excess	s amount over and above the said limit shall lapse to the university.*)	
	* Pi	rovided e-Chan	that where sufficient numbers of examiners are not available in any subject, the cellor may relax the maximum limit by Rs. 10000/- for reasons to be recorded in	
4.	Unle	ess spec	rially permitted, deduction shall be made from the remuneration bills on the following:-	
	(i)	De	lay in dispatch of foil/counter foils or marks to be the Registrar for each day of ay.	15
	(ii)	De	lay in return of answer books for each day of delay Rs.	15
	(iii)	Del	lay in the dispatch of the report on the examination for each day of delay Rs.	15
	(iv)	Ent	ry of marks against wrong Roll Number- per mistake Rs.	15
	(v)	Wro	ong entry of marks (e.g. 35 instead of 25)- per mistake Rs.	15
	(vi)	If m	narks in award list differ from those shown on the answer books- per mistake Rs.	20
	(vii)	Om	ission to enter marks in award list although answer books sent- per mistake Rs.	15
	(viii)	Omi	ission to mark a question or part of question - per mistake Rs.	15
	(ix)	Mist	take in totaling of marks- per mistake Rs.	15
	Note:			
		(a)	If any examiner commits more than three mistakes under any of the categories mentioned in the foregoing paragraph or if any examiner commits mistake or mistakes by which the result of a candidate is affected, his work shall be deemed as unsatisfactory and the matter may be placed before the Executive Council for any action deemed proper.	15
		(b)	Deductions from the bill of tabulators for each mistake made by the tabulator shall be	13

5.	THE FOLLOWING SHALL BE THE
	THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATION PAYABLE EXAMINATION
	TO PERSONS ENGAGED IN WORK RELATING TO UNIVERSITY EXAMINATION A CENTRE VIZ:-
	CENTRE VIZ:-

actually appeared in the examination.

For which Principal will have to issue an official receipt.

(A) THEORY

(B)

(C)

1	HEORY		
(a	Superintendent (Principle) D. Class		300
	the principal during the entire period of example of the principal during the entire period of example of the principal during the entire period of example of the principal during the entire period of example of the principal during the entire period of example of the principal during the entire period of example of the principal during the entire period of example of of	mination)	(Max. 500 pe day)
(b	Superintendent: Per Shift		200
			(Max. 400 pe day)
(0	Assistant Superintendent: Per Shift		150
			(Max. 300 per day)
(d	l) Invigilator: Per Shift		120
(e			
	examination work at a centre		6 and 4 respectively
	(per candidate for the total number of the candidate actually examination at the centre to be distributed by the Centre Sup	admitted to the printendent.)	
(f)	to cover expencess on all contingent items.		6 (Min. Rs. 1500
	(The Principal/Head of the concerned, institution shall send certificate in this respect to the university.)	a untilization	per centre.)
	ACTICAL:		
(pe	poratory staff engaed in connection with practical examinations- r candidate for the total number of the candidate actually admitted mination at the centre.)	ed to the	6
Othe	ers:		
(a)	Forwarding of examination form (Officer and his staff per form Forwarded.)	application	30
(b)	For supplying all necessary materials for practical examination (in subjects where needed) Science and Home	UG Exam.	2
	Science Namely vegetables, chemical, dissection, animals, plant, raw material etc., the principal of the college concerned will be paid contingent charges for per candidate	PG Exam.	4
	concerned will be paid contingent charges for per candidate		

In case of a work for which no remuneration has been prescribed in The foregoing 6. paragraphs, the rate therefore shall be determined by the Kulpati.

S.No.	Nature of Confidential Work	Item ordinance 5-17 to which this work is considered EQUIVALENT	Revised rates of Remuneration
1.	To prepare the list of carry forward marks of candidates appearing for various examinations.	Writing of statement marks.	Per candidate
2.	Corrections in chart (including corrections for declaration of withheld results)	Writing of statement marks.	Per candidate
3.	To put the correct Roll Nos. on award for practical's	Collection of Results	Per candidate
4.	To write the foils and counter foils for marks awarded in Central Valuation.	Collation of Result	Per candidate
5.	Posting of UFM and Revaluation cases & declaration of their results.	Tabulation	Per candidate
6.	Scrutiny of Answer Books.	-	Per candidate

Note:- The Above rates shall apply from the semester examination December 2018

आदेशानुसार,

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क. /4 05 / परीक्षा / 2019 प्रतिलिपि:—

दुर्ग, दिनांक : 29/03/2019

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर। सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक—सी—30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्दावती भवन, अटल नगर, रायपुर। प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग। समस्त विभागीय अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग। कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।

उपकुलसचिव हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विभिन्न प्रकार के भत्ते

	2.			· 원
आदेश क्रमांक एफ 6-36/पग्राविवे/ 22-2/2013, दिनांक 17-5-2013 द्वारा 8 (आठ) वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं व्याख्याता (पंचायत) को शासकीय शिक्षक के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है। क्या उन्हें भी 'बस्तर भन्ता' की पात्रता होगी।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के		बस्तर भत्ता की गणना हेतु द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी किसे माना जावे।	बिद्ध
लिए है, अतः पचायत शिक्षको को लागू नहीं होगा।	नहीं। उक्त आदेश केवल शासकीय सेवकों के	सितंबर, 2008 द्वार राजपत्रित अधिकारी घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सीधी भरती और पदोन्नति से भरे जाने वाले बेतनमान 6500-10500 (वर्तमान 9300-34800 बेतन बेंड में 4400 ग्रेड बेतन) के पदों को राजपत्रित सेवा श्रेणी दो घोषित किया गया है, अतः उक्त बेतनमान में सीधी भरती या पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवक बस्तर भता की गणना हेतु द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी माना जाएगा।	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 17-1/08/1/3 दिनांक 22	स्पष्टीकरण

[बित्त एवं योजना बिभाग क्र. 386/एल-2013-56-00005/बि/मि/बार, दि. 6-9-13]

में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया आदेश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुन: विकल्प देने या पूर्व में कराये गये उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर 23. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा - वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन 145/एफ-2015-21-00650/वि/नि/चार, दिनांक 14-5-2015 द्वार विकल्प के आधार पर रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप

विचारीपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्स के लिए एक और अवसर देने की मांग की जा रही हैं। राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक 2. विभिन विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन

> प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव विन विभाग को विचारार्थ नहीं भेजा जाना सुनिश्चित नितन्बर, 2018 के उपरान्त विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दो जाए कि दिनांक 30 भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुन: विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु 3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प

हों, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे। परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उद्भृत खालों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये

[वित्त विभाग क्र. 353/एल 2018-71-00036/वि/नि/चार, दिनांक 27-07-2018]

- करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त ज्ञापन को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार समेकित राज्य शासन के कर्मचारियों को उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्र. जी-25/10/94/सी/चार, दिनांक 28-12-1994 द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं:-24. उच्च पद का आंतेरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते का पुनरीक्षण-
- 2. दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के 'ग्रेड वेतन' के 20 प्रतिशत के बराबर देव होगा। 1. दोहरा कार्य भत्ता उसी स्थिति में देय होगा, जब किसी शासकीय सेवक को अपने इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित, औपचारिक आदेश जारी किया जाये। कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च रिक्त पद का कार्य करने का निर्देश दिया जाये तथा
- 3. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने की अवधि 15 दिन से कम होने ए वह भता देय नहीं होगा। किसी भी प्रकरण में इस भत्ते की अवधि। वर्ष से अधिक नहीं
- 4 दोहरा कार्य भत्ता की पात्रता उन प्रकरणों में नहीं होगी, जहां उच्च पद निर्मित होने की तारीख से अथवा 1 वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त हो।
- UI. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा इस परिपन्न के राज्य संलग्न प्रपत्र में जारी किया जायेगा।
- 0. यह भत्ता पे-बेंड-4 के पदों एवं उससे उच्च पदों पर कार्य निवंहन करने की स्थिति में देव नहीं होगा।
- 7. दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे।
- स्त्रीत से शिथिलीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो प्रशासकीय विभाग ऐसे प्रस्ताव पर सेवकों के प्रकरण में शिथितीकृत नहीं किया जाएगा, अगर किसी विभागाध्यक्ष या किसी अन्य विचार नहीं करेंगे। 2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे। इन निर्देशों को विशिष्ट शासकीय

वेतन, 014-अन्य भत्ते मद से तथा आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना के नियमित स्थापना के वाहन चालकों के मोबाईल भत्ते का आहरण #01 वाहन चालकों के भत्ते आहरण संबधित कर्मचारी के वेतन आहरण मद से

2. यह आदेश माह अगस्त 2013 से प्रभावशील होगा।

अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता (विशेष वेतन) के लिए ''बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति'' वित्त एवं योजना विभाग इत. 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार, दिनांक 17-7-2013। 30. न्यायिक सेवा प्रतिनियुवित भत्ता - शासकीय सेवकों /न्यायिक सेवा के

छतीसगढ़ सिविल सेवा (विकित्सा परिचर्या) नियम, 2013

नौ /55, दिनांक 14 मार्च, 2013—राज्य शासन के अर्थन निवेत 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एक 21-05/2010/

परिजर्भा तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार है :--1. लागू होना--(1) ये नियम किन मर लागू होंगे :--

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय या निलम्बनाधीन हों या कर्तासाड़ राज्य के बहा पदस्य हो कर्तव्य पर हां या प्रतिनित्तीका पर हो वा प्रीत्रक्षणकी हो वा हुन्हों पर हो

- (ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी
- (ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्य नगर सैनिक
- (ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वार प्रतंभ को गई परियोजनाओं में मसिक (घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वतले पूर्वकालिक कर्मकती वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्व एस्टीक्ससमेंट)

के सदस्य,

- (च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, एआई.आर. 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के मानवेब उच्चतम न्यासाव द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपानरणों के अध्यक्षीन रहते हुए न्यायक अधिकारी।
- (2) ये किन पर लागू नहीं होंगे :--(क) सेवानिवृत्त कर्मचारा,
- (ख) अशकालिक कर्नचारी,
- (ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवंतनिक (मनर) कमबार
- (घ) दैनिक वेतन भोगों कर्मचारों,
- (ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य

2. परिभाषाएँ—

(क) "प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक" नियम 3(ज) के अंतर्गत वथा परिभाषत चिकित्सा अधिकारी;

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनोंक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) स प्रकाशित दिनांक 3-4-2013 से प्रभावा।

(तीन) यह कि, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति तथा अरात: अन्य प्रकार के अवकाश द्वारा तथा अर्जित अवकाश को तरह की अवधि अंशत: इस नियम के अधीन अवकाश द्वारा, आच्छादित हो, राय में वह नियोंग्यता अपबादिक प्रकृति की होनी चाहिए; तथा अवकाश वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर स्वीकार्य विशेष नियाग्यता अवकाश की मात्रा 120 दिनों से अधिक नहीं होगी।

अधीन विशेष निर्योग्यता अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सभी मामले तत्संबंधित प्रशासनिक विभाग को सहमित हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। 40-क. विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृति की शक्ति — नियम 39 एवं 40 के

निर्योग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अन्य अवकाश स्वीकृति हेतु प्रशासकीय **मंजूर करने की शक्ति —** (1) विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों के मामले में विशेष कर सकते हैं। कर सकता है कि ऐसे प्राधिकारी कितनी सीमा तक एवं किन शर्तों के अधीन अवकाश स्वीकृति विभाग, अवकाश स्वीकारकर्ता प्राधिकारों को परांकित कर सकता है तथा वह यह भी निर्धारित 41. विशेष निर्योग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अवकाश

विभाग को निर्दिष्ट किये जायेंगे। (2) उप-नियम (1) में उल्लेखित के अलावा, अवकाश के सभी मामले, प्रशासकीय

अध्याय - छः — अध्ययन अवकाश

जा सकता है। रखते हुये भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी अध्यधीन रहते हुए, किसी शासकीय सेवक को लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में जिसको उसके कार्यक्षेत्र से सीधा और निकट संबंध है, के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्चतर शिक्षा या विशेषीकृत प्रशिक्षण शामिल है तथा 42. अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्ते — (1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के

(2) अध्ययन अवकाश निम्न हेतु भी स्वीकृत किया जा सकता है —

ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा हेतु, यदि ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शेक्षणिक पाट्यक्रम में शामिल न भी हुआ हो; और संबंधित हो जिसमें शासकीय सेवक किसी नियमित शैक्षणिक अथवा अध का होना प्रमाणित किया गया हो तथा शासकीय सेवक के कार्यक्षेत्र से या अध्ययन यात्रा को लोकहित की दृष्टि से शासन के लिये निश्चित लाभ

(दो) लोक प्रशासन के स्वरूप या पृष्ट भूमि से संबंधित अध्ययन के प्रयोजनों के लिए निम्न शतों के अधीन कि —

(ख) शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि अपनी वापसी (क) विशिष्ट अध्ययन या अध्ययन-यात्रा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ; और

छत्तीसगढ़ सिबिल सेवाएँ (अवकाष) निवम, 2010

पर उसके द्वारा अध्ययन अवकाश की अवधि में किने गये कार्यों का

(तीन) ऐसे अध्ययन हेतु जिसका शासकीय सेवक के कार्य के साथ सीधा और लोकसेवा को अन्य शाखाओं में कार्यत कर्मचरियां को सहयेग देने में लोकसेवक के रूप में उसकी योग्यता बढ़ाने में सहस्वक हो और बहु निकट संबंध नहीं है, किन्तु उसका ज्ञान इस प्रकार विस्ताति हो कि एक अपने आप को अधिक सुसज्जित महसूस कर सके। पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि — (एक) प्रशासकीय विभाग द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जावे कि प्रस्तावित अध्यक्त

(दो) यह शैक्षणिक अथवा साहित्यिक विषयों के अतिस्कि अस विषयों के अध्ययन के लिये न हो : पाट्यक्रम या प्रशिक्षण लोकहित को दृष्टि से निश्चित लाभकारी होता;

में गुणदोष के आधार पर ऐसे त्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये साथ जोड़े रखने में सहायक होगा, उसके तकर्ताको स्तर तथा योग्यता में व्यक्ति को, यथास्थिति, उसके कार्यक्षेत्र में होने वाले अधिनक विकास के किया जाता है कि उक्त अध्ययन पाठ्यक्रम उस विशेषज्ञ वा तकनीको किया जा सकता है, यदि संबंधित विभाग के सीचव द्वारा यह प्रमाणित जिसका उसके कायक्षेत्र के साथ सोधा संबंध हो, अध्ययन अवकाश स्वीकृत सुधार लायेगा और इस प्रकार से विभाग को पर्याप लाभ मिलेगा। परतु यह कि किसी विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति को, प्रत्येक मामले

(तीन) यदि ऐसा अवकाश भारत के बाहर के लिये है, तो, भारत शासन वित्त कार्य विभाग, बित्त मंत्रालय, अध्ययन अवकाश को स्वोकृति सहित विदेशों मुद्र विमुक्त करने के लिये सहमत हो।

के बाहर के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। (5) अध्ययन अवकाश ऐसे नियमित शासकीय सेवक को स्वीकृत किया जा सकेग (4) ऐसे विषय हेतु जिनके अध्ययन के लिये भारत में पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध हैं भारत

의 (एक) परिवोक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर चुका है और परिवोक्षा अवधि तथा तदर्थ रूप से को गई सेवा को शामिल करते हुये शासन के अधीन कम

(दो) अवकाश समाप्त होने के पश्चात् अपने कर्तव्य पर लौटने की संभावित से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुका है; तिथि से तीन वर्ष के भीतर अर्द्धवार्षिको आयु पर पहुंचने वाला न हो;

(तीन) अवकाश समाप्त होने के बाद तीन वर्षों तक शासकीय सेवा करने की वचनबद्धता हेतु नियम 49 में दिये गये अनुसार एक बंधपत्र निष्पारित

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विमाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 203/एफ 2016—16—00155/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 25/05/2016 प्रति,

> शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।

13

विषय :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम—38 में यह प्रावधान है कि प्रसूति अवकाश इसके प्रारंभ होने की तिथि (date of commencement) से 180 दिन तक की अविध के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। परीक्षण हेतु प्राप्त एक प्रसूति अवकाश के प्रकरण में वित्त विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त नियम में 'प्रारंभ होने की तिथि' का आशय स्पष्ट किया जाये।

वित्त विभाग द्वारा विचारोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसूति अवकाश में प्रसूति के दिन को शामिल करते हुए गर्भावस्था की अविध भी शामिल है, किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन के पश्चात्वर्ती किसी अविध हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण को शामिल करने हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन किया गया है। संशोधन संबंधी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(संलग्न उपरोक्तानुसार)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> (एस.के. चक्रवर्ती) संयुक्त सचिव

पृ. क्रमांक 204 / एफ 2016-16-00155 / वि. / नि. / चार नया रायपुर, दिनांक 25 / 05 / 2016 प्रतिलिपि:-

- राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर । 1.
- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर । 2.

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।

- रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, 4. बिलासपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन 5. आयोग / लोक आयोग, रायपुर ।
- निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर । 6.
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर । 7.
- मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर । 8.
- सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर । 9.
- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर । 10.
- आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली । 11.
- राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर । 12.
- समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं 13. समस्त शाखा, मंत्रालय, नया रायपुर ।
- संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर । 14.
- मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर । 15.
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ । 16.
- समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ । 17.
- समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ । 18.
- संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर । 19.
- समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ । 20.
- संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की 21. बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अतुल कुलश्रेष्ठ) शोध अधिकारी, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विमाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 25 मई, 2016 क्रमांक 205/एफ 2016—16—00155/वित्त/नियम/चार ः भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में:--

नियम 38 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:--

"(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश अवधि में गर्मावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चात्वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> स.के. चक्रवती) संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh Department of Finance Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated 25 May, 2016

No. 205/F -2016-16-00155/F/R/IV :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely:--

AMENDMENT

In the said rules:--

For sub-rule (1) of rule 38, the following shall be substituted, namely:--

"(1) A female government servant who has less than two surviving children, may be granted maternity leave for a period of up to 180 days. The period of leave shall include the period of pregnancy and the day of delivery but such leave shall not be granted for any period beyond 180 days from the date of delivery. During such period, she will be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

S.K. Chakrabor Joint Secretary

आकरिमक अवकाश के मध्य में आ रहे हैं तो इन्हें आकरिमक अवकाश के भाग के रूप में नहीं बाद में पड़े, उन्हें आकिस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार बदि वे अवकाश सार्वजनिक/सामान्य अवकाश को जो आकस्मिक अवकाश की अवधि के पहले या [सा.प्र.वि. क्र. 2378-3125/1(3)/66, दिनांक 30-11-1996]

[सा.प्र.वि. क्र. 2942-2068-1 (3)/60, दिनांक 13-12-1960]

का अवकाश दिया जा सकता है। हैं, जिसमें से शिविर अवधि समाप्त होने पर विश्वानिकाल के रूप में एक समय में 14 दिन तक लिए भेचे गवे अधीनस्थ वन सेवा के व्यक्तियों को वर्ष में 19 दिन का आकरिसक अवकाश देव फॉरेस्ट स्कूल के प्रशिक्षणार्थियों, चिकित्सा अधिकारियों एवं वन शाला में प्रशिक्षण के

होने वाले परीक्षकों को अधिकतम 10 दिन के विशेष आक्रीसक अवकाश को पात्रता है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को उत्तर पुरितकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन में उपस्थित [सा.प्र.वि. क्र. 1511-सी-आर-763-1 (3)/58, दिनांक 15-7-1958]

[सा.प्र.वि. इ. 679/332/1/(3)/82, दिनांक 30-10-1982]

4. आकास्मक अवकाश उपभाग को अधिकतम सामा :-आकरिसक अवकारा एक समय में आठ से अधिक दिन का मंजूर नहीं किया जा सकता है।

5. स्वाकृति को अन्य शते :-

के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है। के साथ नहीं लिया जा सकता है। अकिस्मिक अवकाश वेकेशन के साथ अथवा कार्यग्रहण काल छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती हैं। आकस्मिक अवकाश किसी अन्य नियमित अवकाश आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति एवं मुख्यालव अधिक हो जाने पर पात्रतानुसार अन्य प्रकार के निर्यामत अवकाश में बदल दिया जाना चाहिचे आकस्मिक अवकारा पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिये और पात्रता सं

6. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :-

को साँप सकते हैं।) **अधिकारी स्वीकृत करेंगे। कार्यालय प्रमुख** अपने यह अधिकार किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी क्रमांक-6 कंडिका 4, 5 एवं (6) कार्यालय प्रमुखों के आकरिमक अवकाश उनके वरिष्ठ का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिये सक्षम है। (सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों

[सा.प्र.वि. क्र. 342/537/एफ.ओ.एम. दिनांक 21-8-71]

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (अवकाश) निवम, 2010

W

7. परिवार नियोजन-विशेष आकस्मिक अवकाश :-

विशेष अवकाश मिलटे की पत्रता है। (1) परिवार निवोजन आपरेशन करवाने वाले पुरुष शासकीय सेवकों को छ: दिन का

देव है। वह आदेश दिनांक 4-10-66 से प्रभावशील है। दिनों के अलावा अन्य कभी होती हैं) के लिये महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश (2) नीन पूर्वस्तातीती. (जो प्रसूति अवकास के बाद प्रसव के तत्काल के बाद के [祖, 邓, 恒, 苯, 2323/2096/1 (3), 汽车车 13-11-59]

अवकारा को पात्रता प्रसृति के बाद आंपरेशन कराया जाता है, तो महिला कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक (3) ये या अधिक जीवित बच्चो होने पर प्रसृति अवकाश नहीं मिलता, परनु ऐसी [सा.प्र.वि. क्र. 2037-सी.आर. I (ii) 66, दिनांक 4-10-66]

पत्र के आधार पर सात दिन का विशेष आकर्तिसक अवकाश प्रान्त हो सकेगा। (4) फ्ती के परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण-[स.प्र.चि. क्र. 1073/555/1 (3), दिनांक 19-5-70]

बाबत प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है। अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसी शल्य-क्रिया प्रायवेट नार्सिंग होम में कराई गयी हो। परन्तु इस पुनः आपरेशन किया जाता है, तो उसके पति कर्मचारी को दुवारा सात दिन का विशेष आकरिसक (5) पुरुष कर्मचरी को पत्नी टी.टी. आपरेशन असफल हो जाने पर यदि फली का [सा.प्र.वि. इत. 1557-सी.आर. 207-3, दिनांक 19-5-70]

अवकाश देव है। इस छ: दिन में रविवार, सार्वजनिक अवकाश एवं स्थानीय अवकाश सम्मिलित है। नसबन्दी कराने पर चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर पुन: छ: दिन का विशेष आक्रांसिक (6) यदि पुरुष कर्मचारी की प्रथम शृल्य-क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दुबरा [का, प्रसु एवं प्र वि. क. सी-3/14/86/3 दिनांक 5-4-1988]

दिनांक 26-11-75 के अनुसार यथावत् लागू रहेंगी। अवकाश चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत होगा। अन्य शर्ते पूर्व के ज्ञापन शल्पिक्रया कराने पर पुन: 14 दिन का विशेष आकत्मिक अवकाश पने की पात्रत है. यह (7) महिला कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाने की स्थिति में दुबारा [सा.प्र.वि. क्र. 820/386/1 (3), दिनांक 26-11-75]

अधिकतम 21 दिवस अथवा वास्तविक रूप से अस्पताल में रहने के दिनों के लिये, विभागाध्यक्ष वह दुवारा नस जुड़वान चाहता है, तो ऐसे कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर उसके दो से कम बच्चे हैं या नसबन्दी कराने के बाद सभी बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और यदि (8) जिस कर्मचारी को नसबन्दी हो चुकी है और वह कर्मचारी यदि अधिवाहित है वा [初、東南、東、54-52-1-3-76, 行前第 12-2-76]

441

आकस्मिकता से बेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977" कहलाएंगे 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-(क) ये नियम "छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा

2. परिभाषाएं — इन नियमों में — (ख) ये नियम । जनवरी, 1974 से प्रभावशील हुए माने जाएं।।

(ii) "स्थाई हैसियत राखने वाले कर्मचारी" से अभिन्नेत उस कर्मचारी से हैं जो (i) "कर्मचारी" से अभिप्रेत उस कर्मचारी से है जो किसी विभाग में छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारी सेवा का सदस्य है।

सकता। अवकाश मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित की आवश्यकता को देखते हुए अवकाश का अधिकार—अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा (iii) "लगतार सेवा" में इयूटी तथा अर्जित अवकाश में व्यतीत अविध शामिल है। भरती तथा सेवा शतों के नियमों के अधीन स्थाई कर्मचारी की हैसियत रखता है। किसी विभाग में छत्तीसगढ़ कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारी

अस्थाई कर्मचारियों के प्रकरण में 30 दिन के अवकाश की होगी। हैसियत रखने वाले कर्मचारी के प्रकरण में एक समय में अधिकतम संचय सीमा 120 दिन और वाले कर्मचारी को वर्ष में 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश की पात्रता होगो। किन्तु स्थाई तत्काल पूर्व उसके द्वारा की गई लगातार सेवा वर्ष में 20 दिन की दर से तथा ऐसी हैं सियत न रखने किसी भी समय अवकाश नामजूर अथवा रह कर सकता है। 4. अर्जित अवकाश—स्थाई हैसियत रखने वाले कर्मचारी को अवकाश प्रारंभ होने के

अधिक जीवित बच्चे हैं उसे प्रसूति अबकाश स्वीकार्य नहीं होगा। दिन का प्रसूति अवकाश इस शर्त के अधीन स्वीकार्य होगा कि जिस महिला कर्मचारी के दो या प्रसृति अवकाश—िकसी महिला कर्मचारी को चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई, 45

अधिक 90 दिन का असाधारण अवकाश किसी कर्मचारी को मंजूर किया जा सकता है। असाधारण अवकाश—विशेष परिस्थितियों में किसी एक अवसर पर अधिक से

प्रसूति अवकाश में अवकाश वेतन की पात्रता होगी। असाधरण अवकाश में किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी। में जिस दर से वेतन निकाला गया है उसी दर के बराबर कर्मचारी को अर्जित अवकाश तथा 7. अवकाश वेतन— जिस माह में अवकाश लिया जाता है उसके ठीक पूर्व वाले महीने

इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-कर्मचारी के विकल्प पर उपयोग किया जा सकता है, भी अवकाश नियमों से परे हैं नियंत्रण अवकाश नियमों में नहीं किया जाता है, इसी प्रकार ऐच्छिक अवकाश, जिन्हें आकस्मिकता की स्थिति में वर्ष में दिये जाने वाले आकस्मिक अवकाश का

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (अवकाश) नि

439

3. आकस्मिक अवकाश:-

13 दिनों के आक्रस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। (1) वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार एक कलेण्डर वर्ष में (शैक्षणिक इकाई को छोड़कर)

अवकाश 16 दिनों की होगी। (2) इसी प्रकार गैर अवकाश सेवा (पुलिस/चिकित्सा) के सेवकों के लिए आकत्मिक

पात्रता होगी। जो 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि में लागू होगी। (4) आकस्मिक अवकाश आवे दिनों के लिए भी स्वीकृत किया जा सकता है। (3) शैक्षणिक सेवा से जुड़े हुए शिक्षकों के लिए एक वर्ष में 13 दिनों की अवकाश की

[सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 692/1098/1(3)/72

दिनाक 25 अक्टूबर 1972]

अपनी सेवा पूर्ण की हो। आकत्मिक अवकाश की पात्रता होगी वशतें वह अनुसूचित क्षेत्र में कम से कम छः माह की (5) अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को एक कलेण्डर वर्ष में 7 दिनों का अतिरिक्त

तथा पात्रता पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। अवकाश निम्न प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है। जिसके लिए सेवक के सक्षम पदाधिकारी (6) शासकीय मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों के लिए विशेष आकास्मिक

(क) तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर अध्यक्ष एवं सचिव को एक वर्ष में अधिक से अधिक तीन दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता

(ख) संभाग एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष एवं सचिव को एक वर्ष में अधिक से अधिक सात दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

राज्य स्तर पर अध्यक्ष एवं महामंत्री को एक वर्ष में अधिक से अधिक दस दिन विशेष आकत्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

अवकाश की पात्रता होगी अवकाश एक वर्ष में 13 दिन आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही सप्ताह में एक दिन (7) आकस्मिक निधि से बेतन पाने बालें /कार्यभारित शासकीय सेवकों को आकस्मिक सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक एक. 10-37/98/1-1/क्क/दिनांक 7-12-1998]

छोड़कर) जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार को कर्तव्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, को एक अवकाश प्रमुख त्यौहारों पर प्राप्त होगी। लिपिक-वर्गीय शासकीय सेवक (आकस्मिक निधि से बेतन पाने बाले कर्मचारियों को (8) नगरपालिका में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक वर्ष में 9 दिनों की सवैतनिक

अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी

नहीं है, क्योंकि, ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक, जो (आचरण) नियम, 1965 के नियम-7 के प्रावधानों के तहत् अनाधिकृत अनुपरिथाते के संबंध पर जारी किये गये है। उक्त निर्देशों के अनुसार मूलभूत नियम-18 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा एक, दिनोंक 02.02.2000 तथा सी-6-6/2000/3/एक, दिनोंक 16.08.2000 द्वारा समय-समय अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश संदर्शित परिपत्रों क्रमांक सी-6-3/2000/3/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध

को शास्ति दी जावं। समयाविध में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाये अथवा सेवा से पदच्युत करने के लिए विभागीय जाँच संस्थित की जावे एवं विभागीय जाँच का निराकरण अधिकतम 6 माह की सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् ''दीर्घशासि'' का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे। साथ ही, ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा-व्यवधान माना जावे। ऐसे सेवकों को किसी प्रकार अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेशन नियम, 1976, सहपटित मूलभूत नियम एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी ऐसी 2. उन्त निर्देशों के अनुसार पुन: यह निर्देश प्रदान किए जाते है कि जो शासकीय सेवक

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने वाले अन्य कर्मचारियों के मामलों में भी की जानी चाहिए। 3. अनिधकृत अनुपस्थिति संबंधी उपराक्त कार्यवाही 30 दिवस से कम अवधि के लिए

का सूचना-पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताएं कि क्यों न उनकी उक्त पेशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी तब तक की गई शासकीय सेवा का हरन अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान नानते हुए पेशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के सेवकों को उनके अनुकाश काल के दौरान के पते एवं ांतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस आशव माना अर्गा। लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाए ? सेवा में व्यवधान को समस्त प्रयोजन, जिनमें 4. एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय

निर्देशों का उल्लंबन करेगा, उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। 5. आदेशनुसार कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे। जो अधिकारो इन

[सा.प्र.वि. क्र. एफ 3-1/2014/1-3, दिनांक 10-02-2015]

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (अवकाश) नियम, 2010

419

विभागों में सेवारत प्रत्येक शासकीय सेवक के अवकाश खाते में प्रत्येक कैलंडर वर्ष में पहलो सेवकों को अ<mark>र्जित अवकाश</mark> — (1) (क) (एक) विश्रामावकाश विभाग को छोड़का अन्य जनवरी और पहली जुलाई को 15-15 दिनों की दो किश्तों में अग्रिम अर्जित अवकाश जम किया 25. विश्रामावकाश विभाग को छोड़कर, अन्य विभागों में सेवारत शासकीव अध्याय - चार — देय और स्वीकार्य अवकाशों के प्रकार

कारणों से किसी नये पद को ग्रहण करता हैं — (वी) यदि कोई शासकीय सेवक पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किवे बिना निम

(क) उसे अपने खलानुसार पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना किसी नवे स्थान पर नया पर प्रहण करने हेतु आदेशित किया जात है, अथवा

(ख) वह अकेले नये पदस्थापना स्थल पर जाता है और पूर्ण पदग्रहण काल का जाता है; भत्ता का दावा प्रस्तुत करने हेतु मान्य अवधि के भीतर अपना परिवार ले लाभ उठावे बिना पर ग्रहण करता है और बाद में परिवार के लिए बाजा

खाते में समाकत्तित किया जायेगा: 5 के उप-नियम (4) के अधीन, अधिकतम 15 दिनों तक के यथास्त्रीकार्य दिनों की संख्या कम करते हुए, अर्जित अवकाश के रूप में उसके अवकाश पदग्रहण काल के दिनों की संख्या में से वासविक रूप से उपभोग किये गरे छलीसगढ़ सिविल सेवाएं (पदग्रहण काल) नियम, 1982 के नियम

किये जाने सहित उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश 300 दिनों से आधक नहीं होगा। परंतु इस प्रकार जमा हेतु स्वीकृत पदग्रहण काल के उपभाग नहीं

सीमा स अधिक नहीं होगा: केरी 'भारवर्ड किये गये अवकाश तथा छ :माही में जमा अवकाश का योग 300 दिनों की अधिकतम इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए आगामी छ माही में केरी फारवर्ड किया जायेगा कि इस प्रकार से (ख) पिछली छ:सही की समाप्ति पर शासकीय सेवक के खाते में जम अवकाश का

न हो, अवकाश खाते में जमा किया जायेगा। अवकाश तथा पूर्व से जमा अजित अवकाश का शेष 300 दिन को अधिकतम सीमा से अधिक यदि कोई शेष हो, तो उसे छ:माही की समाप्ति पर इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा अजित जनवरी एवं जुलाई की पहली तिथि को जमा 15 दिन का अर्जित अवकाश खंड (ख) के अधीन सेवक द्वारा उस छ:माही में लिये गये अर्जित अवकाश के विरुद्ध पहले समायोजित होगा, और उल्लेखित रीति से अवकाश लेखे में जना करने के स्थान पर, पृथक् से रखा जायेगा एवं शासकीय अवकाश खाते में जमा पदग्रहण काल के उपभोग न किये जाने को छोड़कर) से अधिक है तो अजित अवकाश 300 दिन या उससे कम किन्तु 285 दिन (पिछली छन्माही के दौरान अजित परंतु यह कि जहां दिसंबर एवं जून के अंतिम दिन शासकीय सेवक के खाते में जम

स्वीकृत किया जा सकेगा। (3) किसी शासकीय सेवक को एक समय में अधिकतम 180 दिन का अर्जित अवकाश

प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की सेवा हेतु 2½ दिन को दर से अन्ति अवकाश जमा किया जायेगा। , कैलेंडर वर्ष के जिस छ:माही में उसकी नियुक्ति हैं, में की जाने वाली संभावित सेवा के लिये 26. अर्जित अबकाश की गणना — (1) किसी शासकीय सेवक के अवकाश खाते

माह हेतु 2½ दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा। सेवा से त्यागपत्र देता हैं, तो ऐसी सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर (2) (क) जिस छ:माही के लिए शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति होने वाला है अथवा वह

प्रतिमाह की दर से अर्जित अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी। गई हो, से पिछली कैलेंडर माह की समाप्ति तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2½ दिन में उसे सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो, अथवा सेवा में रहते हुवे उसकी मृत्यु हो अथवा सेवा में रहते हुचे उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके अवकाश खाते में, जिस कैलेंडर माह (ख) जब किसी शासकीय सेवक को सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो

अवकाश तथा / या अकार्य दिवस की अवधि का 1/10 वों भाग कम कर जिया जाएगा, किन्तु वह 15 दिन को अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन होगा। आगामीं छ:माही के प्रारंभ पर उसके अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से, ऐसे किया गया हो तथा / या अनुपस्थिति को कुछ अवधि 'अकार्य दिवस' को तरह मानी गया हो, तो (3) यदि किसी छ:माही में शासकीय सेवक द्वारा असाधारण अवकाश का उपभोग

या उससे अधिक को एक दिन संगणित किया जायेगा। दिन में पूर्णीकित किया जायेगा अर्थात् आधे से कम अपूर्णांक को छोड़ दिया जायेगा और आधे (4) अर्जित अवकाश को खाते में जमा करते समय एक दिन के अपूर्णांक को निकटस्थ

तथा पहली जुलाई को दो किश्तों में पांच-पांच दिनों का अर्जित अवकाश अग्रिम जमा किय (क) विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्ति के अवकाश खाते में प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी 27. विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्तियों को अर्जित अवकाश — (1)

दिया जायेगा, किनु इसकी अधिकतम सीमा 5 दिन के अध्यधीन होगी वाले अवकाश में से ऐसे अवकाश तथा/या अकार्य दिवस की अवधि का 1/30 वां भाग कम कर तरह मानी गयी हो, तो आगामी छ:माही के प्रारंभ पर उसके अवकाश खाते में जमा किये जाने अवकाश का उपभोग किया गया हो तथा/या अनुपस्थिति की कुछ अवधि 'अकार्य दिवस' की (ख) यदि किसी छ:माही में विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्ति द्वारा असाधारण

THE PRESENTED THE TOP

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (अवकाश) नियम, 2010

के लिये 5/6 दिन प्रतिमाह की दर से अजित अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दो जायेगी समाप्ति होती है, उसकी नियुक्ति सेवा समाप्ति की छ नाही में की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण मह (ग) विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को जिस छ:माही में नियुक्ति / सेवा

वर्ष में कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी भी अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं होगो। सेवक को उस वर्ष की सेवा के लिए, जिस वर्ष उसने पूर्ण विश्वामावकाश का उपभोग किया है उस (3) (क) उस वर्ष जिसमें शासकीय सेवक विश्वामावकाश का आंशिक उपभोग करता (2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन, विश्रामावकाश विभाग में सेवात शासकीय

विश्रामावकाश के दिनों तथा संपूर्ण विश्रामावकाश के दिनों में हो। है, अर्जित अवकाश की पात्रता 20 दिन के ऐसे अनुपात में होगी जो उपभोग न किये गये (ख) यदि किसी वर्ष, शासकीय सेवक किसी विश्रामावकाश का उपभोग नहीं करता है

के अधीन इस प्रकार जमा किये गये अर्जित अवकाश के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा। तो उसे उस वर्ष के लिये अर्जित अवकाश की पत्रता नियम 25 के अधीन होगी ; उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार उस वर्ष के संबंध में अग्रिम जमा किया गया अर्जित अवकाश नियम 25 व्याख्या — इस नियम के प्रयोजन हेतु, 'वर्ष' शब्द का अर्थ उस कैतेंडर वर्ष से नहीं

12 महीने के वास्तविक कर्तव्य निर्वहन से लगाया जायेगा लगाया जायेगा, जिसमें कर्तव्य का निवंहन किया गया है किन्तु विश्रामावकाश विभाग में किये गवे

आधक नहीं होगा शासकाय सेवक को देव तथा नियम 25 के अर्थान एक समय में स्वीकाय अनित अवकाश से अवधि का योग चाहे अर्जित अवकाश के संयोजन अथवा निरंतरता में लिया गया हो यान हो निरंतरता में लिया जा सकता है, किन्तु लिया गया विश्वामावकाश एवं अचित अवकाश के कुल (4) इस नियम के अधीन विश्वानावकाश किसी प्रकार के अवकाश के संयोजन अधवा

30^ दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो। जिया। जिस प्रकार से कैरी फारवर्ड किये गये अवकाश तथा छ माही में जमा अवकाश का योग ग्वात में जमा अर्जित अवकाश को इस शर्त के अध्यर्धन आगामी छ माही में केरी फारवर्ड किया (5) इस नियम के अधीन भिछली छ:माही की समाप्ति पर शासकीय सेवक के अवकाश

उपखण्ड (से) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य होगा काल के अंश को जमा करने की सुविधा, नियम 25 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के टिप्पणी — विश्वानावकाश विभाग में सेवारत व्यक्ति को उपभोग न किये गये पदप्रहण

अग्रिम अर्थतेतन अवकाश जमा किया जायेगा में प्रत्येक केलेंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को दस-दस दिनों के दो किश्तों में 28. अथवेतन अवकाश -- (1) प्रत्येक शासकीय सेवक के अध्वेतन अवकाश खात

से अवकाश जमा किया जावेगा। में भी जाने वाली संभावित सेवा के लिये प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की सेवा हेतु 5/3 दिन को रर (2) (क) अवकाश खाते में, कैलेंडर बर्ष के जिस छ:माही में उसकी नियुक्त हुई है, (ग) जब किसी शासकीय सेवक को सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो अथवा सेवा में रहते हुई उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके अर्थवेतन अवकाश खाते में, जिस कैलेंडर माह में उसे सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो अथवा सेवा में रहते हुये उसकी मृत्यु हो गई हो, से पिछले कैलेंडर माह की समाप्ति तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन प्रतिमाह की दर से अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) जहाँ किसी छ:माही में शासकीय तेवक की अनुपरिथति अथवा निलंबन को कुछ अवधि 'अकार्य दिवस' की तरह मानी गयी हो, तो आगामी छ:माही के प्रारंभ पर उसके अर्धवेतन अवकाश खते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से ऐसे 'अकार्य दिवस' का 1/18 वां भाग कम कर दिया जायेगा, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 10 दिन के अध्यक्षीन होगी।

(3) शासकीय सेवक को इस नियम के अधीन, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अथवा निजी कार्य के लिये अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा अवकाश, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दिवा जायेगा, जैसा कि शासन इस संबंध में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा विवित्त करे तथा ऐसी अवधि से अधिक के लिए नहीं दिया जायेगा जो कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशासित किया गया हो। ऐसा चिकित्सा अवकाश, स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि शासकीय सेवक के ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस सौटने को यथोचित संभावना है। व्यक्तिगत कार्यों से भी अर्थवेतन अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस लौट आयेगा अथवा जब तक कि अवकाश की स्वीकृति, रोवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में अधिव्यक्त करते हुए शामिल न किया गया हो।

(4) अर्धवेतन अवकाश को जमा करते समय, किसी दिन के अपूर्णांक (अपूर्ण प्रभाग) को निकटस्थ दिन में पूर्णांकित किया जाएगा।

29. लघुकृत अवकाश — (1) किसी शासकीय सेवक को, केवल चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर, अर्धवेतन अवकाश के आधे से अनिधक लघुकृत अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, स्वीकृत किया जा सकता है:

(एक) जब लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाये, तो देय अर्धवेतन अनकाश के विरुद्ध ऐसे अवकाश की दुगुनी संख्या विकलित की जायेगी:

(दो) जब तक अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पांस यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक इसकी समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस लौटेगा, लघुकृत अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा: (तीन) लघुकृत अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम 180 दिनों तक का अधंवेतन अवकाश (चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना) लघुकृत अवकाश में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है, जहां ऐसे अवकाश का उपयोग किसी ऐसे अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये हो जिसे अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्राधिकारी द्वारा लोकहित में होना प्रमाणित किया गया हो।

(3) जहाँ शासकीय सेवक जिसे लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया हो। त्यागपत्र देता है अथवा उसे उसके निवेदन पर सेवा में वापस लौटे विना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, के लघुकृत अवकाश को अर्धवेतन अवकाश के समान समझा जायेगा, तथा लघुकृत अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के मध्य के अन्तर की वसूली की जायेगी:

परन्तु ऐसी वसूली नहीं की जायेगी यदि सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक की अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो।

30. अदेय अवकाश — (1) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के प्रकरणों को छोड़कर, किसी शासकीय सेवक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है:—

> (क) अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि शासकीय सेवक के ऐसे अवकाश पर वापस लौटने की यथीचित संभावना है;

> अदेय अवकाश उस अधंवेतन अवकाश तक सीमित होगा जो उसके द्वारा भविष्य में (तत्पश्चात्) अजिंत किया जाना संभावित है।

(ग) संपूर्ण सेवाकाल में अदेय अवकाश अधिकतम 360 दिनों तक सीमित रहेगा, जिसमें से एक समय में अधिकतम 90 दिन तथा कुल 180 दिनों से अधिक न हो का अवकाश चिकित्सा प्रमाणपत्र के अन्यथा स्वीकृत किया जा सकता है।

(घ) अदेय अवकाश, शासकीय सेवक को अनुवर्ती सेवा अवधि में अर्जित होने वाले अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध विकलित किया जायेगा।

(2) (क) जब कोई शासकीय सेवक जिसे अदेव अवकाश स्वीकृत किया गया है, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसे उसके निवेदन पर सेवा में वापस लोटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, तो उसका अदेव अवकाश निरस्त कर दिया जायेगा, उसका त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति उस तिथि से प्रभावशील मानी जावेगी जिस तिथि से ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ था तथा अवकाश वेतन की वस्ली की जायेगी।

(ख) जब कोई शासकीय सेवक अदेय अवकाश का उपभोग कर कर्तव्य पर वापस लौटता है किन्तु ऐसा अवकाश ार्जित करने के पूर्व ही, वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवानिवृत्त होता है, तो वह बाद में अजिंत न की गई अवकाश की सीमा तक अवकाश वेतन वापस करने के दायित्वाधीन होगा :

परंतु खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो :

परंतु यह और भी कि खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वस्ती नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42(ख) के अधीन समयपूर्व अनिवार्य-सेवानिवृत्त किया गया हो, अथवा वह मूलभूत नियम 56(2)(क) के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो।

- 31. असाधारण अवकाश (1) नियम 11 के उपवंधों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय सेवक को निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में, असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा
 - (क) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य न हो, अथवा
 - (ख) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य हो, किन्तु शासकीय सेवक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु लिखित आवेदन दे।
- (2) अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी ऐसे बिना अवकाश की अनुपस्थिति अविध को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश में रूपान्तरित कर सकता है। जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश उस समय स्वीकार्य हो जिस समय बिना अवकाश अनुपस्थिति प्रारंभ हुई।
- (3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उसके द्वारा दी गई सूचना की अवधि के दौरान शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - (4) असाधारण अवकाश, अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जायेगा।
- 32. परिवीक्षाधीन, व्यक्ति जो परिवीक्षा पर हो तथा प्रशिक्षु को अवकाश —(1) (क) किसी परिवीक्षाधीन को इन नियमों के अधीन अवकाश की पात्रता होगी, यदि वह अपने पद को परिवीक्षा पर के अन्यथा मौलिक रूप से धारण करता।
- (ख) यदि, किसी कारण से, किसी परिवीक्षा व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करना प्रस्तावित हो तो कोई अवकाश जो उसे स्वीकृत किया जाएगा निम्न अवधि से आगे के लिये नहीं होगा —
 - (एक) उस तिथि के बाद जिस तिथि तक परिवीक्षाधीन अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है, या
 - (दो) किसी ऐसी पूर्वतर तिथि के परचात् जिसमें उसे नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त की गई हों,
 - (2) किसी प्रशिक्षु को निम्नानुसार अवकाश का पात्रता होगी
 - (क) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश, अर्धवेतन के समान अवकाश वेतन पर उस अवधि के लिए जो प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में एक माह से अधिक न हो-
 - (ख) नियम 31 के अधीन असाधारण अवकाश।

33. सेवानिवृत्ति पूर्वे अवकाश — (1) किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे देय अर्जित अवकाश की सीमा तक जो 300 दिन से अधिक न हो के साथ देय अर्धवेतन अवकाश को सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में लेने को अनुमित, इस शर्त के अधीन दी जा सकती है, कि ऐसा अवकाश सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिये हो तथा इसमें सेवानिवृत्ति तिथि शामिल हो।

- (2) जहाँ शासकीय सेवक जो किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम अथवा कम्पनी में अथवा उसके अधीन वाह्य सेवा पर हो जो पूर्ण रूप से अथवा अंशत: शासन द्वारा अंगीकृत अथवा नियंत्रित है अथवा शासन द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त है (इसमें इसके पश्चात् स्थानीय निकाय के रूप में निर्दिष्ट है) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश को माँग करता है, अवकाश को स्वीकार करने अथवा नामंजूर करने का निर्णय राज्य शासन के अधीन उधार देने वाले प्राधिकारी की सहमति से बाह्य नियोजक द्वारा लिया जायेगा।
- (3) जहाँ शासकीय सेवक उप-नियम (2) में उल्लेखित स्थानीय निकाय के अलावा किसी अन्य स्थानीय निकाय में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा में हो, तो उसे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की पात्रता तब होगी जब वह बाह्य नियोजक के अधीन सेवा से मुक्त होगा।
- 34. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा त्यागने की तिथि के बाद अवकाश— किसी शासकीय सेवक को निम्न अवधि के बाद अवकाश स्वीकृत नहीं किया. जायेगा—
 - (क) उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या
 - (ख) उसकी अंतिम रूप से कर्तव्य विराम की तिथि, या
 - (ग) उसकी सेवा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, उसके द्वारा उसको दो गई सूचना के द्वारा सेवानिवृत्ति लेने अथवा शासन द्वारा उसको दी गई सूचना या ऐसी सूचना के एवज में दिये वेतन एवं भत्तों के आधार पर सेवानिवृत्ति करने की तिथि, या
 - (घ) उसकी सेवा से त्यागपत्र को तिथि।
- 35. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति के प्रकरण में, इन नियमों के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसकी युनर्नियुक्ति की तिथि पर शासकीय सेवा में प्रथम नियक्ति हुई हो।
- 36. अवकाश वेतन (1) शासकीय सेवक जो अवकाश पर प्रस्थान करता है, की उसके अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी:

परन्तु यह कि, यदि कोई शासकीय सेवक भारत में ब्राह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए या किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रहते हुए याअपने मूल पद / संवर्ग में पदावनत होने पर विना प्रत्यावर्तन पद पर कार्यभार ग्रहण किये हुए अर्जित अवकाश पर जाता है, तो उसे उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करने को पात्रता होगी, जो वह उसकी उच्च पद पर नियुक्ति को छोड़कर अर्जित अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व प्राप्त करता।

(2) अर्धवेतन अवकाश अथवा अदेय अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

पूर्व की भांति अभिदान की प्रत्येक इकार्द की 30 प्रतिषद अपन कीम विकि उर्देश में

427

- (3) लघुकृत अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उप-नियम (1) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
- (4) असाधारण अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी।
- (5) उस व्यक्ति के मामले में जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) लागू है, अर्जित अवकाश को छोड़कर, अवकाश अवधि में देय अवकाश वेतन में से उक्त अधिनियम के अंतर्गत तत्स्थानी अवधि के लिये स्वीकार्य लाभ की राशि कम कर दी जायेगी।
- (6) (क) शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो रहा है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है, के प्रकरण में, यदि, पूर्व में उपभोग किया गया अवकाश उसके खाते में जमा अवकाश से अधिक होता है, तो अवकाश वेतन का आवश्यक समायोजन किया जायेगा, यदि कोई अधिक आहरण हो।
- (ख) जहाँ शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाती है, यदि उसके द्वारा पूर्व में उपभोग किये गये अवकाश की मात्रा, नियम 26 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन जमा हुये अवकाश से अधिक होती हैं, तो ऐसे प्रकरणों में अवकाश वेतन के अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी।
- (7) शासकीय सेवक जिसे पुनर्नियोजन अवधि के दौरान अर्जित किया गया अवकाश स्वीकृत किया गया है, ऐसे अवकाश अवधि के लिये इस नियम के अधीन स्वीकार्य अवकाश वैतन का पात्र होगा, जिसमें से पेंशन एवं के समतुल्य अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ की राशि को घटाया जायेगा।
- 37. <mark>अवकाश वेतन का आहरण</mark> इन नियमों के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन का आहरण भारत में रुपये में किया जायेगा।

अध्याय - पांच — अध्ययन अवकाश से अतिरिक्त विशेष प्रकार के अवकाश

- 38. प्रसृति अवकाश 1[(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसृति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसृति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसृति की तिथि से 180 दिन की परचात्वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसके अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है।
 - (2) ऐसा अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा।
- (3) प्रसृति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 205/एफ 2016-16-00155/वित्त/नियम/चार, दिनांक 25-05-2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (4) किसी महिला शासकीय सेवक को (जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) गर्भपात सहित गर्भस्त्राव के प्रकरणों में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिये पूरे सेवाकाल में अधिकतप पैतालीस दिन की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- 38-क. पितृत्व अवकाश (1) किसी पुरुष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान अर्थात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह की अवधि के भीतर अवकाश स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिये पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- (2) ऐसे अवकाश की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के टीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।
- (3) पितृत्व अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- (4) यदि पितृत्व अवकाश का उपभोग, नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा अवकाश व्यपगत माना जायेगा।

टीप — इस अवकाश को सामान्यतः अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

- 38-ख. द्<mark>त्तक ग्रहण अवकाश —</mark> (1) किसी महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, एक वर्ष की उम्र तक का बच्चा वैधानिक रूप से गोद लेने पर 135 दिन (दत्तक लिये गये बच्चे की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक सीमित) तक की अविध के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी कालाविध के दौरान वह अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन के लिए पात्र होंगी।
- (2) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- (3) दत्तक ग्रहिता माता को, उसके आवेदन पर, 'दत्तक ग्रहण अवकाश' की निरंतरता में, दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि पर ध्यान दिये बिना वैधानिक रूप से दत्तक लेने की तिथि पर गोद लिये गये बच्चे की उम्र को कम करते हुए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए उसे देय एवं स्वीकार्य अन्य प्रकार के अवकाश (अदेय अवकाश एवं बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के 60 (साठ) दिन तक के लघुकृत अवकाश सहित) स्वीकृत किया जा सकता है।
- (4) दत्तक ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा। 1[38-ग. संतान पालन अवकाश—(1) इस नियम के उपवंधों के अध्यथीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों को देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन को कालाविध की संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ 2014-71-00183/वितः/नियम/चार, दिनांक 4-10-2018
 हारा जोडा गया।

सेवानिवृत्त होता है, तो वह बाद में अर्जित न की गई अवकाश की सीमा तक अवकाश वेतन वापस करने के दायित्वाधीन होगा :

परंतु खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो :

परंतु यह और भी कि खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वंतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42(ख) के अधीन समयपूर्व अनिवार्य-सेवानिवृत्त किया गया हो, अथवा वह मूलभूत नियम 56(2)(क) के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो।

- 31. असाधारण अवकाश (1) नियम 11 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय सेवक को निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में, असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है —
 - (क) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य न हो, अथवा
 - (ख) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य हो, किन्तु शासकीय सेवक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु लिखित आवेदन दे।
- (2) अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी ऐसे बिना अवकाश की अनुपस्थिति अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश में रूपान्तरित कर सकता है। जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश उस समय स्वीकार्य हो जिस समय बिना अवकाश अनुपरिथति प्रारंभ हुई।
- (3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उसके द्वारा दी गई सूचना की अवधि के दौरान शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - (4) असाधारण अवकाश, अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जायेगा।
- 32. परिवीक्षाधीन, व्यक्ति जो परिवीक्षा पर हो तथा प्रशिक्षु को अवकाश —(1)
 (क) किसी परिवीक्षाधीन को इन नियमों के अधीन अवकाश की पात्रता होगी, यदि वह अपने पद को परिवीक्षा पर के अन्यथा मौलिक रूप से धारण करता।
- (ख) यदि, किसी कारण से, किसी परिवीक्षा व्यक्ति की सेवाएँ समाप्त करना प्रस्तावित हो तो कोई अवकारा जो उसे स्वीकृत किया जाएगा निम्न अवधि से आगे के लिये नहीं होगा —
 - (एक) उस तिथि के बाद जिस तिथि तक परिवीक्षाधीन अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है, या
 - (दो) किसी ऐसी पूर्वतर तिथि के परचात् जिसमें उसे नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त की गई हों,
 - (2) किसी प्रशिक्षु को निम्नानुसार अवकाश का पात्रता होगी
 - (क) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश, अर्थवेतन के समान अवकाश वेतन पर उस अवधि के लिए जो प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में एक माह से अधिक न हो;
 - (ख) नियम ३१ के अधीन असाधारण अवकाश।

33. सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश — (1) किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे देय अर्जित अवकाश की सीमा तक जो 300 दिन से अधिक न हो के साथ देय अर्धवेतन अवकाश को सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में लेने की अनुमति, इस शर्त के अर्धान दी जा सकती है, कि ऐसा अवकाश सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिये हो तथा इसमें सेवानिवृत्ति तिथि शामिल हो।

(2) जहाँ शासकीय सेवक जो किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम अथवा कम्पनी में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा पर हो जो पूर्ण रूप से अथवा अंशत: शासन द्वारा अंगीकृत अथवा नियंत्रित है अथवा शासन द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त है (इसमें इसके पश्चात् स्थानीय निकाय के रूप में निर्दिष्ट है) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की माँग करता है, अवकाश को स्वीकार करने अथवा नामंजूर करने का निर्णय राज्य शासन के अधीन उधार देने वाले प्राधिकारी की सहमति से बाह्य नियोजक द्वारा लिया जायेगा।

(3) जहाँ शासकीय सेवक उप-नियम (2) में उल्लेखित स्थानीय निकाय के अलाव किसी अन्य स्थानीय निकाय में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा में हो, तो उसे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की पात्रता तब होगी जब वह बाह्य नियोजक के अधीन सेवा से मुक्त होगा।

34. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा त्यागने की तिथि के बाद अवकाश— किसी शासकीय सेवक को निम्न अवधि के बाद अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा—

- (क) उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या
- (ख) उसकी अंतिम रूप से कर्तव्य विराम की तिथि, या
- (ग) उसकी सेवा के निबंधन एवं शतों के अनुसार, उसके द्वारा उसको दी गई सूचना के द्वारा सेवानिवृत्ति लेने अथवा शासन द्वारा उसको दी गई सूचना या ऐसी सूचना के एवज में दिये वेतन एवं भत्तों के आधार पर सेवानिवृत्ति करने की तिथि, या
- (घ) उसकी सेवा से त्यागपत्र की तिथि।

35. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति — सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति के प्रकरण में, इन नियमों के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसकी पुनर्नियुक्ति की तिथि पर शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हुई हो।

___36. अवकाश वेतन — (1) शासकीय सेवक जो अवकाश पर प्रस्थान करता है, को उसके अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी :

परन्तु यह कि, यदि कोई शासकीय सेवक भारत में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए या किसी उच्च पद पर स्थानापन रहते हुए याअपने मूल पद / संवर्ग में पदावनत होने पर बिना प्रत्यावर्तन पद पर कार्यभार ग्रहण किये हुए अर्जित अवकाश पर जाता है, तो उसे उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करने को पात्रता होगो, जो वह उसकी उच्च पद पर नियुक्ति को छोड़कर अर्जित अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व प्राप्त करता।

(2) अर्धवेतन अवकाश अथवा अदेय अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

पूर्व की भाति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30 प्रतिशत भाग बीमा निर्धि आर शब

वित्त निर्देश 22/2017

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 मई, 2017 क 252 / एल 2015-71-00406 / वित्त / नियम / चार लीय नवान ५०

प्रति

शासन के समस्त विभाग .. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागाय्वत समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ


छत्तीसंगढ शासकीय कर्मुवारी समूह बीमा योजना 1985-अशदान और अनुरूपी बीमा राशि की दरों में 0 ज़ूलाई, 2017 से वृद्धि

वित्ता विभाग का ज्ञापन क्रमोंक 340/322/वि/नि/चार/03, दिनांक 29.4.2003

विषयातर्गत योजना की वर्तमान दरें दिनांक 1 जुलाई, 2003 से लागू है। उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। विभिन्न कर्मचारी संघों से विवारोपरांत शासन ने उक्त दरों में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 100 प्रतिशत वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर रूपये 60 करने का निर्णय लिया है। दिनाक 01 जुलाई, 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से निम्मानुसार संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की जाती है :--

रागूह	कर्मवारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह	बीमा राशि
V A	प्रथम		₹5. 4,80,000
र्गा	ाद्वताय	₹ 360 €	₹ 3,60,000
ही	्राय -	表. 300	₹5. 3,00,000
	ada	1 180	页. 1,80,000

पूर्व की भाति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30 प्रतिशत भाग बीमा निधि और शेष 70 प्रतिशत भाग यवत निधि में जभा होगा। सेवानिवृत्त होने पर शासकीय सेवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुमतान ब्याज सहित किया जायेगा । सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके अलावा इस योजना के तहत बचत निधि खाते में संचित राशि का भुगतान भी ्याज सहित, किया जायेगा।



- 11. परिवार कल्याण निधि में जमा राशि की वापिसी वे शासकीय सेवक प्रारंभ में परिवार कल्याण निधि के सदस्य थे और बाद में केन्द्रीय/राज्य कर्मचारियों की समूह बीमा योजना, 1980 अथवा 1985 के सदस्य हो चुके हों, उनको परिवार कल्याण निधि में जमा राशि उस पर देय ब्याज सहित शासकीय सेवक को सेवा में रहते मृत्यु होने पर अथवा उसकी सेवा-निवृत्ति पर देय होगा।
- 12. आहरण का प्रपत्र एवं लेखा शीर्ष परिवार कल्याण निधि का आहरण प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 76 पर किया जाकर उस पर निम्न लेखा शीर्ष अंकित किया जावे -
- K Deposits & Advances (a) Deposits bearing Interest, 8342 Other Deposits. Misc. Deposits, M.P. Govt. Servant F.B.F. (out going).
 - जमा राशि पर ब्याज जमा राशि पर ब्याज की दर निम्नानुसार निर्धारित है: 14-10-1974 से 31-3-1993 तक --- 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से
 - 1-4-1993 से 31-12-2002 तक 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ज्याज की दर से
 - 1-1-2003 से 31-12-2003 तक 9% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
 - 1-1-2004 से 30-11-2011 तक 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
 - 1-12-2011 से 31-12-2016 तक 8.6% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से [वित्त विभाग क्र. 319/एल-5-1/12/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 22-6-2012]
 - 1-1-2017 से 31-3-2017 8.0% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से [बित्त विभाग क्र. 1757/00121/संसा/ब-4/चार/2016, दिनांक 22-2-2017]

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना 1974 के अंतर्गत जमा राशि की वापसी का गणना पत्रक :-

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 15(सी)/16/78/चार/नि-3/81 दिनांक 24-10-81 द्वारा परिवार कल्याण निधि में जमा राशि की वापसी का गणना पत्रक तथा इसके प्रयोग की विधि संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त गणना पत्रक कुल 420 माह के लिए था। राज्य शासन के घ्यान में लाया गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना के कुछ वर्तमान सदस्यों की सेवा अवधि 420 माह से अधिक हो गई है। अत: उनकी सेवानिवृत्ति पर उपरोक्त गणना पत्रक के आधार पर गणना संभव नहीं होगा।

अत: उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा 504 माह का पुनरीक्षित गणना पत्रक तैयार किया गया है। जो शासकीय कार्योलयों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गय। है। गणना संबंधी अन्य प्रक्रिया एवं शर्ते उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 14-10-81 के समान रहेंगी। [वित्त एवं योजना विभाग क्र. 115/395-स्था/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 30-4-2010]

31

समूह बीमा योजना

- 1. उद्देश्य यह योजना शासकीय कर्मचारियों को कम लागत पर तथा अंशदायी और स्विवित्त पोषण आधार पर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर परिवारों की सहायता के लिए टीना सुरक्षा तथा सेवा-निवृत्ति पर उनके परिवारों की सहायता के लिए एक मुश्त राशि के संदाय का दोहरा लाभ प्रदान करने के लिए आशयित है।
- 2. प्रयुक्ति यह योजना मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों (अपवादों के साथ) पर लागू होती है। (अब छत्तीसगढ़ राज्य में)
- 3. बीमा निधि तथा बचत निधि इस योजना के अंतर्गत दो निधियाँ हैं :-अभिदान का एक भाग बीमा निधि में तथा शेष भाग बचत निधि में जमा किया जाता है।
- 4. प्रभावशीलता समूहबीमा एवं परिवार कल्याण निधि योजना दिनांक 1-7-85 से राज्य शासन के सभी कर्मचारियों के लिए लागू की। इसके पूर्व परिवार कल्याण निधि योजना, 1974, दिनांक 1-11-74 से प्रभावशील थी। जिन्होंने समूह बीमा योजना का चयन नहीं किया है, उनके विकल्प देने की अवधि को दिनांक 31-3-2004 तक बढ़ाई गई है। उक्त विकल्प के आधार पर जुलाई 2003 से विकल्प की तिथि तक बकाया अंशदान की राशि मुख्य शीर्ष-8011 बीमा और पेंशन निधियाँ-105 राज्य सरकार बीमा निधि में तत्काल जमा कर मूल चालान की प्रति कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही विकल्प मान्य होगा। [ति.वि.क्र. 49/322/वि/नि/चार/2003, दिनांक 15-1-2004]
- 5. सदस्यता (1) समूह बीमा योजना सन् 1985 से सभी कर्मचारियों के लिए अनिवायत: लागू की गई है। जिन्होंने इस योजना के अधिसूचना के बाद शासन की सेवा में आये हैं या अधिसूचना के जारी होने के बाद शासकीय सेवा में आये समस्त कर्मचारी योजना के अगले वर्ष-दिवस को अनिवार्यत: इसके सदस्य बनेगे।
- (2) योजना के सदस्य के लिए प्रत्येक कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा फार्म क्रमांक 2 में नामांकित तारीख़ को और उसके बेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती से सूचना दी जाएगी। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाएगी। जो चार प्रतियों में बनाई जाएगी। एक प्रति शासकीय सेवक को एक प्रति संचालक, जीवन बीमा विभाग, ग्वालियर को एवं एक प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष की ओर तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपरूपी जाएगी।
- (3) योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा में प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से वीमा सुरक्षा प्रीमियम (अंशदान की राशि का 30%) काटा जाना शुरु कर दिया जाएगा, जिससे मृत्यु की दशा में समुचित वीमा सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके।

-: 383 :-

- 1. निर्देशों की प्रभावशीलता—ये निर्देश दिनांक 14-06-2013 से प्रभावशील होंगे।
- 2. निर्देशों का विस्तार और उनका लागू होना—ये निर्देश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त किये गये समस्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।
- 3. दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य-दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य ऐसे नियमित शासकीय सेवक से है, जो नियमित शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत रहा हो अथवा आकस्मिक सेवा/कार्यभारित स्थापना का नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी रहा हो एवं सेवाकाल के दौरान जिसका असामयिक निधन/आत्महत्या द्वारा निधन हो गया हो।
- 4. अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी—अनुकम्पा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा, जो सामान्य परिस्थितियों में यथास्थिति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो।
- 5. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीद्वार—दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के निम्नलिखित वयस्क सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नीचे दर्शित क्रमानुसार अर्थात् (क) के अस्वीकार करने पर या पात्र न होने पर (ख) को एवं उसके पश्चात् इसी अनुक्रम में आगे (ग), (घ) एवं (ङ) की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु क्रमशः विचार किया जायेगाः—
 - (क) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा/विधुर,
 - (ख) पुत्र/दत्तक पुत्र,
 - (ग) (अविवाहित) * पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री,
 - (घ) आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित दत्तक विधवा पुत्री,
 - (ङ) आश्रित तलाकशुदा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा दत्तक पुत्री, एवं
 - (च) पुत्रवध्**
- 6. अविवाहित शासकीय सेवक का निधन होने पर अनुकम्पा नियुक्ति-ऐसे शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर, जो अविवाहित है (अथवा विधुर है और उसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है) तो ऐसे दिवंगत शासकीय सेवक के (माता/पिता की अनुशंसा पर) (भाई/अविवाहित बहन) *** को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।
- परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 22-3-2016 द्वारा शब्द ''अविवाहित'' को विलोपित किया गया।
- परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 30-4-2016 द्वारा जोड़ा गया।
- परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 22-3-2016 द्वारा शब्द "भाई/अविवाहित बहन'' के स्थान पर शब्द ''भाई/बहन'' प्रतिस्थापित किया गया है।

-: 148 :-

''परन्तु मृतक शासकीय सेवक के परिका में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य परणु प्राप्त को कोई अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की

6(अ) दिवंगत विवाहित शासकीय सेक्क्षके परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अप किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।"*

**स्पष्टीकरण—दिवंगत विवाहित खं अविवाहित शासकीय सेवकों के परिवार के आश्रित सदस्य में निम्नलिखित सदस्य शामिल हो -_

- (अ) विवाहित शासकीय सेवक के गमले में -- आश्रित माता, पिता, विधवा पत्ती, विधुर पति, पुत्र एवं पुत्री (इनमें लक पुत्र/पुत्री, विधव/तलाकशुदा पुत्री शामिल हैं) तथा पुत्रवध्।
- (ब) अविवाहित शासकीय सेवक (अववा विधुर जिसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है) के मामले में—आश्रित माता, पित भाई एवं बहन।
- 7. अनुकम्पा नियुक्ति के पद—(1) किसी भी मामले में अनुकम्पा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्नतम नियमित्ताकत पदों के विरुद्ध ही दो जाएगी यथा- सहायक ग्रेड-3, शिक्षाकर्मी, वार्ड बॉय, वनरक्षक, परकी, पंजीयक लिपिक आदि तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में भृत्य अथवा उसके समकक्षीय पद। पतु, ऐसे कार्यपालिक पदों पर जिन पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पश्चात् किवेबने की व्यवस्था है, अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
- (2) कार्यभारित एवं आकस्मिकत बैतनमान के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर नियुन्ति संबंधित स्थापना (कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनमान) में उक्तानुसार पदों पर की जा सकेंगी। खिलाड़ी कोटे के आरक्षित रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- (3) चतुर्थ श्रेणी के दिवंगत कर्मका के परिवार के सदस्य को भर्ती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पूर्ति करने पर तृतीय ह्रेगों के पद पर अनुकम्मा नियुक्ति को पात्रता होगी।
- 8. अनुकम्पा नियुक्ति हेत् पदों की गणना एवं पदों का सीमा बंधन—(1) अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संग में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी।
 - (2) तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुक्रमा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत का सीमा वंधन इस

परिपत्र क्रमांक एक 7-1/2012/1-3 हिनांक 30-8-2016 द्वार. उक्त स्पष्टीकरण जारी किया गया।

परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनंक 29-8-2016 द्वारा उक्त परनुक एवं कंडिका 6(अ) जोड़ी गई।

E-main 20 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावृती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.म.) (Crity - 0771-2636413 Bast - 0771-2263412)
http://www.htghereducation.cg.yon.in) अटल नगर,रायपुर, दिनांक 9/10/2018 542/ 162/ आविश / अराज स्था / 2018

समस्त शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ

नियुक्ति के संबंध सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक जानकारी बाबत

इस कायालय का पत्र कमांक 644/254/81/आउशि/अराजस्था/2016 द्विनाक 16.11.2017.

सपरोक्त विषयान्तर्गत, रांदर्गित गत्र द्वारा महाविद्यालय में कार्यरत शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर समके आश्रित परिवार के सदस्य को छ.ग. शासन. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एक 7-1/2012/1-3, दिनांक 14.06.2013 एटं दिनोक 31,12,13,13,1015,22,03,16,30,04.16,07.06,15,29.08.16,30.08.16,13.10.17,1.8.2018 एवं समय-समय पर जारी निवेंशों के परिप्रेक्ष्य में अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में अपने स्तर पर कार्यवाही

प्रायःदेखा जा रहा है कि महाविद्यालय में पद रिक्त होने पर भी प्राचार्य द्वारा अनुकंपा नियुवित के प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, जबकि पद रिक्त न होने की रिथति में ही प्रकरण इस कारालय को प्रवित किया जाना चाहिए ।

उपरोवत परिपत्रों में दिए गये निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें, निर्देशों का पालन नहीं दिए जाने पर प्राथार्थ स्वयं जिम्मेदार होंगें।

(29) / निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के यदि प्रकरण अध्यत हों तो कृपया अद्यतन जानकारी दिनांक 18.10.2018 तक अनिवार्य रूप से इस क्रियंत्वय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अध्यात, उच्च शिक्षा हारा अनुनोविषा)

প্ৰায়ম পৰিলেক(एব) उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

शासकीय वाहन चालक दुर्घटना बीमा योजना

- प्रभावशील इस योजना का नाम शासकीय वाहन चालक दुर्घटना बीमा योजना, 1993 है तथा यह योजना दिनांक 1 फरवरी, 1993से प्रभावशील है।
- 2. पात्रता जो दिनांक 1-2-93 को सेवा में थे तथा इस तिथि के पश्चात्, जो सेवा में प्रवेश करेंगे, को लागू होगी:-
 - (अ) नियमित सेवा के समस्त कर्मचारी,
 - (ब) बाह्य सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारी,
 - (स) छत्तीसगढ़ संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण।
- 3. योजना का लाभ मृत शासकीय सेवक के नामांकित सदस्य को या उसके कानूनी वारिस को रु. 25,000/- का एकमुश्त भुगतान।

इस योजना के अधीन देय लाभ शासकीय परिवार कल्याण निधि अथवा समूह बीमा योजना के लाभ के अतिरिक्त होगा।

4. अंशदान - अलग से कोई अंशदान देने की आवश्यकता नहीं। भुगतान निम्न शीर्ष से किया जायेगा :-

"Refund of contribution 'K' – Deposits and Advances (a) Deposits bearing interest – 842 – Other Deposits – Miscellaneous Deposits – Madhya Pradesh Government Servants Family Benefits Fund (Outgoing)".

- किन परिस्थितियों में देय शासंकीय वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन चालक तथा उस पर सवार अन्य शासकीय सेवकों की मृत्यु होने पर।
 - 6. प्रशासकीय नियंत्रण संचालक जीवन बीमा विभाग का।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ-15 (सी) 2/93/नि-3/चार, दिनांक 5-3-1993]

टिप्पणी - यह योजना कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालकों के लिये भी लागू की गई है।

[बित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 15 (सी) 27/95/ई/चार, दिनांक 5-5-1999]

33

अनुग्रह राशि

शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत करने बाबत् :-

शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने की पात्रता एवं अनुदान की सीमा के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 में मूल वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो तो) के छ: गुना के बराबर अधिकतम रुपये 25,000/- की सीमा के अधीन अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

- 2. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा संदर्भित सभी ज्ञापनों को अतिक्रमित करते हुए अनुग्रह अनुदान की दरों में इन वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार शासकीय कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को चार माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन) के बराबर अनुग्रह अनुदान, रूपये 35,000/- अधिकतम की सीमा के अधीन, की पात्रता होगी।
- अनुग्रह अनुदान की पात्रता राज्य शासन की नियमित सेवा में कार्य करने वाले सभी स्थाई कर्मचारी तथा एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अस्थाई एवं कार्यभारित तथा आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों को होगी।
- 4. उपरोक्त क्रमांक 3 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को अनुग्रह अनुदान निम्नांकित स्थितियों में देय होगी:-
 - (अ) जब वह कर्तव्य पर हो,
 - (ब) जब वह अवकाश पर हो,
 - (स) भारत शासन द्वारा नियंत्रित किसी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हो,
 - (द) शासन द्वारा किसी प्रशिक्षण हेतु भेजा गया हो,
 - (इ) कार्य ग्रहण काल में हो,

टीप-शासकीय कर्मचारी द्वारा की गई आत्महत्या को भी इस उद्देश्य के लिये नैसर्गिक मृत्यु माना जायेगा। इयूटी से घर लौटते हुए दुर्घटना से या अन्य कारण से रास्ते में मृत्यु होने तथा सार्वजनिक अवकाश की अवधि में मृत्यु होने पर भी इसकी पात्रता होगी।

- 5. अनुग्रह अनुदान की पात्रता निम्न कर्मचारियों को नहीं होगी -
 - (अ) अधिवार्षिकी आयु के पश्चात्,

29

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955

छत्तीसगढ़ शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 134/391/वित्त/नि./चार/2001 दिनांक 2-3-2002 के द्वारा जारी वित्त निर्देश 2002/6 में स्पष्ट किया है कि सामान्य भविष्य निधि खातों के उचित रख-रखाव हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए दिग्दर्शिका एवं आहरित बैंक के माध्यम से भुगतान होगा।

सामान्य भविष्य निधि : आहरण एवं संवितरण अधिकारियों हेतु दिग्दर्शिका

भाग 1 : सामान्य भविष्य निधि नियमों का संक्षिप्त विवरण

1. संक्षिप्त परिभाषाएँ :-

- (i) ये नियम छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम कहे जाते हैं। [नियम 1]
- (ii) इन नियमों में ''लेखा अधिकारी'' से तात्पर्य महालेखाकार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। [नियम 2-ए]
- (iii) परिवार का अर्थ -
 - (अ) पुरुष अंशदाता के मामले में पत्नि अथवा पत्नियाँ और बच्चे तथा अंशदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवायें तथा बच्चे।
 - (ब) महिला अंशदाता के मामले में, पति तथा अंशदायी के बच्चे तथा अंशदायी के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवायें तथा बच्चे !

बच्चों का यहां अर्थ है - वैध बच्चे। दत्तक बच्चे को बच्चे के अर्थ में तब माना जायेगा, जबकि जंशदाता की वैयक्तिक विधि के अंतर्गत बच्चे को प्राकृतिक रूप से उत्पन्न बच्चे का दर्जा प्रदान करते हुये दत्तक लेना विधित: मान्य है।

- (iv) निधि निधि का अर्थ है छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि।
- (v) विभाग प्रमुख विभाग प्रमुख का अर्थ है किसी विभाग का प्रमुख।
- (vi) अवकाश अवकाश का अर्थ है सेवा नियमों अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये जाकर अंशदायी पर लागू िकये गये कोई भी नियम समूह के अंतर्गत अवकाश।
- (vii) वर्ष वर्ष का अर्थ है वित्तीय वर्ष। [नियम 2 सी से जी]
- (viii) परिलब्धियाँ वेतन परिलाभ में वेतन, अवकाश वेतन अथवा निर्वाह अनुदान,

-: 336 :-

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955

जैसा कि सेवा नियमों में परिभाषित है तथा बाह्य सेवा के संबंध में वेतन के प्रकार का प्राप्त कोई पारिश्रमिक सम्मिलित है। ब्याज - शासन अंशदाता के खाते में उस तथा है।

allatnent

(ix) ब्याज - शासन अंशदाता के खाते में उस दर से ब्याज देगा जो कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित गणना विधि से प्रत्येक वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा तय की जाती है।

्राणयन १२ 2. सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता की शर्ते एवं अनिवार्यता :-

- (i) जो ठेके पर या पुनर्नियुक्ति पर हैं को छोड़कर, समस्त शासकीय कर्मचारी जिनकी सेवा शर्त तय करने में छत्तीसगढ़ शासन सक्षम हो निधि में अंशदान हेतु पात्र होंगे। [नियम 4]
- (ii) वे समस्त शासकीय कर्मचारी जो नियम 4 के अंतर्गत निधि हेतु अंशदान के पात्र हैं, निधि के अनिवार्य अंशदाता होंगे।
- (iii) परन्तु छत्तीसगढ़ शासन शासकीय कर्मचारी की किसी निर्दिष्ट श्रेणी को इस नियम की प्रभावशीलता से मुक्त कर सकता है।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी कि समस्त अनिवार्य अभिदाता निधि में इन नियमों के अधीन निर्धारित न्यूनतम दर परिलब्धियों के बारह प्रतिशत (12%) से कम अंशदान नहीं दे रहा है। [नियमऽ]

3. अंशदाता के लेखा का रख-रखाव:-

प्रतोक अंशदाता के नाम से महालेखाकार कार्यालय में खाता खोला जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दशाये जायेगे :-

- (i) अंशदाता का अंशदान।
- (ii) नियम 14 के उपनियम (2) में दिये गये नियमानुसार अंशदान पर अर्जित ब्याज ।
- (iii) नियम 14-A के अनुसार निर्धारित बोनस।
- (iv) निधि में से अग्रिम उधार और आहरित की गई धन राशि। [नियम ९

4. अभिदाता को खाता क्रमांक आबंटन :-

महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंशदाता का लेखा रखने हेतु सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटिट किया जाता है। जैसे ही कोई अंशदाता नियम 4 के अंतर्गत निधि में अंशदान की पात्रता रखता है, आचरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उस अंशदाता को खाता आवंटन हेतु निर्धारित प्ररूप में आवश्यक जानकारी भर प्रतिवेदन के सभी कालम की जांच विभागीय अभिलेख से सत्यापित करने के पश्चात् महालेखाकार कार्यालय को खाता आवंटन हेतु अग्रेषित किया जाना चाहिये। खाता क्रमांक के तीन भाग होते हैं:-

छत्तीसगढ़ हैण्डबुक

- 8. यदि उक्त भूमि का उपयोग बिहित प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि, उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पतियों के साथ, शासन में निहित हो जावेगी और आबंटितियों को उसका मुआवजा देय नहीं होगा।
- 9. शासन के प्रतिनिधि/अधिकृत व्यक्ति, कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग, तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।
- आबंटन के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम तथा संबंधित विभागों के अधिनियम, नियम, निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे।

3. आवेदक संस्था से प्रब्यािक एवं भू-भाटक की संपूर्ण राशि आवंटन आदेश जारी होने की तिथि से छ:माह के अंदर जमा करायी जाये। आवंटिती द्वारा निर्धारित छ:माह को समयाविध में प्रब्याजी एवं भू-भाटक की संपूर्ण राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में आवंटन आदेश की तिथि से प्रब्याजी एवं वार्षिक भू-भाटक पर 12% वार्षिक ब्याज लिया जाकर, संपूर्ण प्रब्यािज एवं वार्षिक भू-भाटक की राशि जमा करायी जाये। यह अविध दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवंटिती द्वारा उपरोक्त दो वर्ष की समयाविध में राशि जमा नहीं करने पर आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग क्र. एफ 4-22/सात-1/2017, दिनांक 26-07-2017]

38

शासकीय आवास आवंटन

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6/19/गृह/02 दिनांक 5-8-2002 द्वारा इस विधि का अनुकूलन किया गया है जो मध्यप्रदेश में लागू था। जहाँ पर म.प्र. और भोपाल होगा वहाँ पर छत्तीसगढ़ एवं रायपुर क्रमशः पढ़ा जाये। यह राजपत्र दिनांक 20-9-2002 में प्रकाशित है।

- विशिष्ट श्रेणियाँ छ. ग. राज्य शासन रायपुर स्थित आवासों को किन्हीं विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को आवंटन करने के लिए पृथक पुल स्थापित कर सकेगा। वर्तमान में निम्म प्रकार के पूल होंगे -
 - (क) सामान्य पूल,
 - (ख) न्यायिक अधिकारियों के लिए पूल,
 - (ग) विधान सभा अध्यक्षीय पूल,
 - (घ) विशिष्ट सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये पूल,
 - (ङ) प्रेस पूल पत्रकारों के लिये।
 - 2. सामान्य पूल में शासकीय आवास गृह दो प्रकार के होते हैं -
 - (i) सामान्य पूल के, एवं (ii) विभागीय

सामान्य पूल के शासकीय आवास-गृहों का आवंटन जिला मुख्यालय पर स्थित आवास-गृहों का आवंटन जिलाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आवंटन इस हेतु गठित समितियों की अनुशंसाओं पर किया जाता है। जहां विभागीय आवास-गृह अलग से है उनका आवंटन उस विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाता है।

3. आवास गृहों की पात्रता - रायपुर में निवास स्थान आवंटन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास-गृहों की पात्रता निम्नानसार है -

निवास स्थानों के प्रकार	वेतन सीमा
''बी''	22400 र. तथा उससे अधिक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
"सी"	18400 ह. से 22400 ह. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
''ৱী''	12750 ह. से 18399 ह. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
··\$11	10000 र. से 12749 र. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
"एफ"	6500 रू. से 9999 रू. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
"जी"	4500 ह. से 5499 ह. तक अराजपत्रित अधिकारियों के लिए
''एच''	3050 ह. से 4499 ह. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
''आई''	समस्त चतुर्थं श्रेणी कर्मचारियों के लिए